



भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 271

मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल - डी.एन.ए. आधारित
तकनीक के उपयोग और विनियमन
का प्रारूप विधियेक

जुलाई, 2017

डा.न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान

पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

अध्यक्ष

भारत का विधि आयोग

विधि कार्य विभाग, भारत सरकार



Dr. Justice B. S. Chauhan

Former Judge, Supreme Court of India

Chairman

Law Commission of India

Department of Legal Affairs

Government of India

अ.शा. सं. 6(3) 315/2017-एल.सी.(एल.एस.)

तारीख : 26 जुलाई, 2017

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

मुझे “मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल - डी.एन.ए. आधारित तकनीक के उपयोग और विनियमन का प्रारूप विधेयक” शीर्षक भारत के विधि आयोग की दो सौ इकहत्तरवीं रिपोर्ट को अग्रेणित करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है।

विज्ञान और ओ-नधि के विस्मयकारी प्रभाव के कारण 20वीं शताब्दी के दौरान डी.एन.ए. की खोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोजों में से एक महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। हाल में, यह न्यायालयिक विज्ञान का एक बहुत उपयोगी उपकरण है जो न केवल आपराधिक अन्वेषण और सिविल विवाद में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है बल्कि अपराधियों की पहचान के सभी सुसंगत लक्षणों के बारे में न्यायालयों को सही जानकारी भी प्रदान करता है। सिविल और दांडिक कार्यवाहियों और गायब व्यक्तियों और मानव अवशेषों की पहचान में डी.एन.ए. आधारित तकनीक के उपयोग और विनियमन के लिए विधान की विरचना करने की दृष्टि से, बायोटेक्नालाजी विभाग ने “सिविल और दांडिक कार्यवाहियों और गायब व्यक्तियों” और मानव अवशेषों की पहचान में “डी.एन.ए. आधारित तकनीक का उपयोग और विनियमन विधेयक, 2016” शीर्षक का प्रारूप विधेयक प्रस्तावित किया। प्रारूप विधेयक को सितंबर, 2016 को भारत के विधि आयोग को उसके मार्गदर्शन के लिए अग्रेणित किया गया। अनेक न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक उपबंधों के आलोक में प्रारूप विधेयक की गहन परीक्षा की गई। तत्पश्च आयोग ने “डी.एन.ए. आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017” शीर्षक का नया प्रारूप विधेयक तैयार किया जो रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध है।

सादर,

भवदीय

ह0/-

(डा. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान)

श्री रविशंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल - डी.एन.ए. आधारित तकनीक के
उपयोग और विनियमन का प्रारूप विधेयक

विनय-सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
I.	प्रस्तावना	4
II.	नीतिपरक अवसंरचना	6
III.	अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधियां	8
IV.	डी.एन.ए. प्रोफाइल के संवैधानिक और विधिक पहलू	12
V.	अन्य देशों की विधियां	25
VI.	मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल विधेयक, 2016 और अन्य रिपोर्ट	32
VII.	निर्कर्म	34
VIII.	सिफारिशें	35
उपबंध		
I	“राष्ट्रीय डी.एन.ए. डाटाबेस, 2011” के सुसंगत भाग	37
II	डी.एन.ए. आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017	48

अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1 डी.एन.ए. का अर्थ डिऑसिडीबोनूक्लेयिक एसिड है जो ऐसा पहचान तत्व है जिसे मानव प्राणी अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। समान जुड़वा में से कोई दो व्यक्ति एक ही डी.एन.ए. पैटर्न नहीं रखते। डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग के भी कतिपय विशिष्ट लक्षण हैं।

1.2 वर्ष 1987 में, डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आपराधिक अन्वेषण में रक्त संबंध को स्थापित करने और चिकित्सीय इतिहास का पता लगाने के उपकरण के रूप में किया गया था। अन्वेषक अपराध स्थल पर “अनाम डी.एन.ए.” पाते हैं और संदिग्ध के डी.एन.ए. के साथ संभव मिलान कर तुलना करते हैं। अन्वेषक प्रायः अपराध स्थल से एकत्र किए गए डी.एन.ए. से मिलान करने के लिए संदिग्ध के मुंह से शारीरिक पदार्थ एकत्र कर करने के लिए स्वैब का उपयोग करता है।

1.3 डी.एन.ए. के उपयोग के पूर्व, पहचान मुख्यतः फिंगरप्रिंट, फूटप्रिंट, रक्त या अन्य साक्ष्य जो कोई संदिग्ध व्यक्ति अपराध करने के पश्चात् छोड़ सकता है, पर आधारित था। अपराध स्थल पर मिले डी.एन.ए. से संदिग्ध के डी.एन.ए. से मिलान करने की प्रक्रिया विधि प्रवर्तन अधिकरणों और न्यायालय के कर्मचारियों दोनों के लिए अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने की अधिक संभाव्यता प्रदान करती है।

1.4 डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग विधि प्रवर्तन के लिए बहुत उपयोगी रहा है क्योंकि इसका उपयोग निर्दोष को मुक्त करने के लिए किया जाता है। अपराध स्थल पर मिले रक्त के समान, डी.एन.ए. सामग्री अनंत अवधि तक उपयोग योग्य बनी रहती है। डी.एन.ए. तकनीक का उपयोग पीड़ित व्यक्ति की पहचान के लिए सड़ गए मानव अवशेषों तक भी किया जा सकता है।

1.5 नैदानिक विचारण और चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जैसाकि इसे भारी संख्या में धर्मशास्त्रीय और ऐतिहासिक पाठों और धर्म ग्रंथों में निर्दिष्ट किया गया है।

1.6 क्रमशः, 200 ई.पू. और 200 ई.प. **चरक संहिता** (चिकित्सा पुस्तक) और **सुश्रुत संहिता** (शल्य क्रिया की पुस्तक) चिकित्सा विज्ञान की भारत की काफी पुरानी दक्षता पर प्रकाश डालते हैं। आजकल, ऐसी कई विधियां हैं जो भारत में नैदानिक अनुसंधान को लागू होती हैं जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

- ओ-नधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
- भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (2002 में संशोधित)
- चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970
- जैविकी सामग्री विनियम का मार्गदर्शक सिद्धांत (एम.ओ.एच. आदेश 1997)
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.7 चूंकि आपदाओं के पीड़ित, गायब व्यक्ति आदि जैसे विशि-ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों की पहचान के बारे में विद्यमान विधिक उपबंधों की कमी है इसलिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग में 'सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों, गायब व्यक्तियों और मानव अवशेषों की पहचान में डी.एन.ए. आधारित तकनीक का उपयोग और विनियमन शीर्षक का प्रारूप विधेयक तैयार किया। 27 सितंबर, 2016 को प्रारूप विधेयक को भारत के विधि आयोग को परीक्षा और इसके पुनरीक्षण यदि अपेक्षित है, के लिए अग्रेषित किया गया।

1.8 डी.एन.ए. रूपरेखा तकनीक जो सिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है¹, को सामाजिक कल्याण विशेषकर अपराधियों की पहचान करने के लिए आपराधिक न्याय परिदान प्रणाली को सुकर बनाने में काफी प्रभावी पाया गया है। किसी पक्षकार से संबंधित ऐसे परीक्षण निश्चित रूप से संपु-टिकारक साक्ष्य गठित करते हैं²। न्यायिक कार्यवाही विशेषकर, भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान, चिकित्सीय विज्ञान में इसके उपयोग के अलावा, गायब व्यक्तियों और आपदा पीड़ितों की पहचान में डी.एन.ए. आधारित तकनीक के उपयोग और विनियमन का मूल्यांकन करते हुए मानव डी.एन.ए. रूपरेखा को विनियमित करने के लिए एक विशेष विधान की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। डी.एन.ए. विश्लेषण ऐसी सारवान सूचना प्रदान करता है जिसे यदि दुरुपयोग किया जाए या अनुचित उपयोग किया जाए तो व्यक्ति विशेष और संपूर्ण समाज को गंभीर अपहानि कारित कर सकता है।

1.9 आयोग ने प्रारूप विधेयक पर विचार किया और सुसंगत मुद्दों पर अपनी परीक्षा के आधार पर यह नि-कर्न निकाला कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का मात्र संशोधन प्रयोजन को पूरा नहीं करेगा। मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल के उपयोग और दुरुपयोग की व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि अधिनियम में अधिकथित प्रयोजनों तक इसे निर्बंधित करते हुए डी.एन.ए. परीक्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशि-ट रूप से रेखांकित मानकों, गुणता नियंत्रण और गुणता आश्वासन के साथ विशेष विधि द्वारा विनियमित किए जाने की अपेक्षा है। इस प्रकार संसद के एकमात्र विधि के माध्यम से मानव डी.एन.ए. की रूपरेखा के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता है जिससे कि केवल विधिसम्मत प्रयोजनों के लिए ऐसे उपयोग का समुचित विनियमन और निर्बंधन किया जा सके। विधि आयोग, प्रारूप विधेयक का पुनरीक्षण करते हुए, न्यायालयों द्वारा डी.एन.ए. तकनीक के समुचित उपयोग के बारे में ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और मानकों जो विधेयक में सूचीबद्ध हैं, का पालन कर डी.एन.ए. परीक्षण केंद्रों के लिए इसे आवश्यक बनाते हुए व्यक्त की गई चिंताओं के प्रति भी सचेत रहा है और जिसके ब्यौरे विनियमन में दिए जाएंगे।

¹ डीएनए टेस्ट में 99.99 प्रतिशत सही नि-कर्न निकलता है और इसे एक वस्तुपरक वैज्ञानिक परीक्षण माना गया है जो किसी व्यक्ति को खंडन करने के लिए मुश्किल हो सकता है। वीरन बनाम वीरावरमल्ले और अन्य, ए.आई.आर. 2009 मद्रा. 64 ; और हरजिन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2013(2) आर.सी.आर. (क्रिमिनल) 146.

² सिम्पसन बनाम कॉलिन्सन, (1964) 1 ऑल ई.आर. 262.

अध्याय 2

नीतिपरक अवसंरचना

2.1 मानव जाति के संरक्षण की नीतिपरक अवसंरचना का अपना उद्भव प्राचीन हिपोक्रेटिक शपथ से है जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि चिकित्सक प्राथमिक उद्देश्य रोगी को अपहानि से बचाना है । तथापि, निश्चय ही इस शपथ का सम्मान मानव परीक्षण में नहीं किया गया और मानवों के संरक्षण की अधिकांश प्रगति के परिणामस्वरूप मानवों पर बुरा प्रभाव पड़ा । निश्चय ही, मानव विनयों पर अनुसंधान करते समय कतिपय आबद्धकारी नीतियां और मानवीय तथा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील रीति में पालन किया जाना अंतर्वलित हैं ।

2.2 **हेलीसिकी घो-णा 1964** ने **18वें विश्व चिकित्सा संगम महासभा** द्वारा अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थिर किया । इसमें 32 सिद्धांत हैं जो नैतिक समिति द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के लिए अध्ययन के वैज्ञानिक कारणों सहित संसूचित सहमति, आंकड़े की गोपनीयता, संवेदनशील जनसंख्या और प्रोटोकॉल की अपेक्षा पर बल देता है । संयुक्त रा-ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत **सार्वभौमिक मानव अधिकार घो-णा 1948** ने अस्वैच्छिक दुराचार के विरुद्ध मानव अधिकारों के बारे में चिंता व्यक्त की । **अंतररा-ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा, 1966** (आई.सी.सी.पी.आर.) में यह उपबंध है कि “किसी व्यक्ति को यातना या क्रूरता अमानवीयता या अधपतन व्यवहार या दंड के अधीन नहीं रखा जाएगा । विशेषकर किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना चिकित्सा या वैज्ञानिक उपचार के अधीन नहीं रखा जाएगा ।” यह ‘प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने या दो-न की संस्वीकृति के लिए मजबूर न करने का अधिकार है’ जैसे अनुच्छेद 14(3)(छ) में विभिन्न “न्यूनतम प्रत्याभूति” को भी निर्दिष्ट करता है ।

2.3 वर्ष 1988 में मानव अधिकार समिति (एच.आर.सी.), ऐसे स्वतंत्र विशेषज्ञों का समूह जो आई.सी.सी.पी.आर. का प्राधिकृत निर्वचन करता है, ने निजता के अधिकार (अनुच्छेद 17) पर सामान्य टिप्पणी 16 जारी की । इस सामान्य टिप्पणी में, एच.आर.सी. ने यह उल्लेख किया कि निजता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है ।

2.4 भारतीय अनुसंधान निधि संगम (आई.आर.एफ.ए.) की स्थापना 1911 में की गई । इसे 1949 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अनुसंधान संस्कृति विकसित करने और सामुदायिक समर्थन पैदा करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परि-न्द् (आई.सी.एम.आर.) के रूप में पुनः नामित किया गया । वर्ष 1980 में, आई.सी.एम.आर. ने “मानवीय विनयों पर अनुसंधान में अंतर्वलित नीतिपरक विचारों पर नीतिगत कथन” नामक दस्तावेज जारी किया । यह सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में नीतिपरक समिति (ई.सी.) की स्थापना के लिए शासकीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए पहला नीतिगत कथन था ।

2.5 मानवीय विनयों पर जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए व्यापक नीतिपरक मार्गदर्शक सिद्धांतों को अंतिम रूप वर्ष 2000 में आई.सी.एम.आर. द्वारा दिया गया जिसका भारत के अनुसंधानकर्ताओं को मानवीय विनयों पर अनुसंधान करते समय पालन करना था । ओ-धि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा भारतीय चिकित्सा परि-न्द् अधिनियम, 1956 (2002 में संशोधित) में यह उपबंध है कि भारत के सभी नैदानिक परीक्षणों को इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का

अनुसरण करना चाहिए । बेलमांट रिपोर्ट से प्रभावित होकर इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पुनरीक्षण वर्ष 2006 में किया गया और तीन मूलभूत नीतिपरक सिद्धांत : व्यक्ति का सम्मान, उपकार और न्याय नियत किए गए । इन नीतिपरक सिद्धांतों को निम्नलिखित 12 सामान्य सिद्धांतों को सम्मिलित करते हुए पु-ट किया गया :-

- (i) तात्त्विकता ;
- (ii) स्वैच्छिकता, संसूचित सहमति और सामुदायिक करार ;
- (iii) गैर-शो-नण ;
- (iv) एकांतता और गोपनीयता ;
- (v) पूर्वावधानी और निम्नतम जोखिम ;
- (vi) वृत्तिक सक्षमता ;
- (vii) जबावदेही और पारदर्शिता ;
- (viii) अधिकतम सार्वजनिक हित और समान न्याय ;
- (ix) संस्थागत ठहराव ;
- (x) सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र ;
- (xi) उत्तरदायित्व की समग्रता ; और
- (xii) अनुपालन

अध्याय 3

अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि

3.1 आधारभूत अधिकार के रूप में निजता के अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख **सार्वभौमिक मानव अधिकार घो-नणा, 1948** में मिलता है। घो-नणा के अधीन किसी भी व्यक्ति को उसकी निजता, कुटुम्ब, गृह या पत्राचार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसके सम्मान या ख्याति पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या आक्रमण के विरुद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है। इसके अतिरिक्त निजता के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा, 1966 ; बाल अधिकार कन्वेंशन, 1989 और लैटिन अमेरिका³, मिडिल ईस्ट⁴ और यूरोप⁵ के क्षेत्रीय मानव अधिकार कन्वेंशनों जैसे कई मुख्य मानव अधिकार लिखतों में सम्मिलित किया गया है।

क. न्यायालयिक अनुवंशिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी के डी.एन.ए. आयोग की सिफारिशें :

3.2 “न्यायालयिक अनुवंशिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी के डी.एन.ए. आयोग (आई.एस.एफ.जी.)”⁶ शीर्षक के एक लेख ; आपदा पीड़ित पहचान (डी.वी.आई.) के लिए न्यायालयिक आनुवंशिकी की भूमिका से संबंधित सिफारिशें, सामूहिक आपदा के पीड़ितों की पहचान सुनिश्चित करने के मुद्दे की परीक्षा की गई है। सामूहिक आपदाओं में प्राकृतिक (अर्थात् भूकम्प, ज्वालामुखी प्रस्फुटन, हिमस्खन, तूफान और सुनामी) या गैर-प्राकृतिक आपदा (अर्थात् परिवहन दुर्घटना, आतंकवादी हमला, युद्ध या राजनैतिक उठापटक) अंतर्वलित हो सकते हैं।

3.3 इस बाबत, आई.एस.एफ.जी. ने डी.वी.आई. के मामलों में न्यायालयिक आनुवंशिकी की भूमिका पर कतिपय सिफारिशें कीं। ऐसे मामलों में आपात अनुक्रिया बहुआयामी है और शव हटाने, पीड़ित पहचान और मृत्यु प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने जैसे मामलों में मृतक पीड़ितों के साथ कई अभिकरण भागीदार होते हैं। प्रायः यह नगरपालिका या स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आई.एफ.एस.जी. ने निम्नलिखित सिफारिशें की :-

1. प्रत्येक न्यायालयिक डी.एन.ए. प्रयोगशालाओं को आपात अनुक्रिया से निपटने वाले सुसंगत प्राधिकारियों से संपर्क बनाने का प्रयास करना चाहिए और संभव सामूहिक दुर्घटना तैयारी योजना में अंतर्वलन स्थापित करना चाहिए। नमूना संग्रहण, व्याप्ति और प्रयास के अंतिम लक्ष्य के बारे में नीतिगत विनिश्चय पीड़ितों के कुटुम्ब को प्रभावित करेगा और कार्य योजना का विनिश्चय यथासंभव शीघ्र किया जाना चाहिए।

³ अमेरिकी राज्यों का संगठन, मानव अधिकार आर्ट. 11 पर अमेरिकी सम्मेलन, 21 नवंबर, 1969 ओ.ए.एस.टी.एस. सं. 36, 1144 यू.एन.टी.एस. 123 (18 जुलाई, 1978 को लागू किया गया) देखें।

⁴ इस्लाम में मानव अधिकारों पर कैरो घो-नणा, आर्ट 18 यू.एन.गाओर, चौथा सत्र, एजेंडा आईटम 5, यू.एन. डॉक. ए/सीओएनएफ. 157/पी.सी.62/एडीडी 18 (5 अगस्त, 1990)।

⁵ मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यूरोपीय सम्मेलन आर्ट 5, 4 नवंबर, 1950. 213, यू.एन.टी.एय. 222 (3 सितंबर, 1953 को लागू किया गया), जैसाकि प्रोटोकॉल 3, 5, 8 और 11 के अनुसार संशोधित है (21 सितंबर, 1970, 20 दिसंबर, 1971, 1 जनवरी, 1990 और 1 नवंबर, 1998 को लागू किया गया)

⁶ फॉरेंसिक विज्ञान अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिकी द्वारा एफएसआई आनुवंशिकी में प्रकाशित, 1(200) 3-12.

2. आंतरिक अनुक्रिया योजना को आवर्त क्षमता, नमूना पता लगाने की आवश्यकता है और विभिन्न कार्यों जिनका अद्यतनीकरण कार्मिक परिवर्तनों के रूप में होता है, के लिए उत्तरदायी पर्यवेक्षकों के नाम अवश्य होने चाहिए ।

3. डी.एन.ए. परीक्षण के लिए कई नमूना प्रकार अन्वे-ण के शीघ्र संभव प्रक्रम पर किया जाना चाहिए बशर्ते पता लगाना गारंटीकृत हो । नमूने प्रत्येक शरीर या पहचान योग्य शरीर भाग से एकत्र किया जाए चाहे पहचान पहले से ही क्यों न स्थापित हो । उचित भंडारण भी सुनिश्चित किया जाए ।

4. एकल सही रिपोर्टकृत गायब सूची का डी.एन.ए. पहचान प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने में निर्णायक महत्व है । व्यक्तिगत प्रभावों या कुटुम्ब स्वैब को एकल मामला संख्या के अधीन रखे जाने की आवश्यकता है । यदि कई अभिकरण या कंपनियां नमूना संग्रहण और/या परीक्षण में भागीदार हैं तो मामला संख्या हमेशा एक ही बना रहना चाहिए ।

5. प्रत्येक गायब व्यक्ति के लिए बहु-प्रत्यक्ष प्रतिनिर्देश और प्रथम श्रेणी के नातेदारों से नमूने एकत्र किए जाएं । आनुवंशिकी की पृ-ठभूमि वाले वैज्ञानिकों को कुटुम्ब संपर्क समूह में प्रशिक्षण या परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

6. डी.वी.आई.-डी.एन.ए. परीक्षण केवल इन विशि-ट नमूना प्रकार के सफल क्षमता और सतत अनुभव रखने वाली प्रयोगशालाओं द्वारा ही कराया जाए ।

7. विश्लेषित किए जाने वाले लोकी के समूह की पहचान यथासंभव से भी अधिक अंतर्वलित देशों के वैज्ञानिक समुदायों के अनुसार किया जाए । न्यूनतम 12 स्वतंत्र लोकी का चयन मानक समूह के रूप में किया जाए किंतु लोकी की अधिक संख्या को अधिमानता दी जाए ।

8. सभी जेनेटिक तत्वों और सभी अभ्यर्थी मिलानों का गहनता से पुनरीक्षण किया जाए । समेकित डी.एन.ए. रूपरेखा सृजित की जा सकती है यदि उसी नमूने से व्युत्पन्न हो और अभिभावी लोकी के लिए संगत हो । प्रतिलिपिकरण नीति को सामूहिक दुर्घटना की रसद और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए ।

9. यदि मानक ऑटोसोमल एस.टी.आर. प्रकार पर्याप्त सूचना देने में असफल रहता है तो एम.टी.डी.एन.ए., वाई. क्रोमोजोमल एस.टी.आर. या एस.एन.पी. मार्कर जैसी अतिरिक्त प्रकार प्रणाली का चयनित मामलों में उपयोग किया जाए ।

10. सभी आंकड़ा मिलान के लिए एक केंद्रीयकृत डाटाबेस की अपेक्षा है । लिप्यंतरण त्रुटियों से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपलोड की सिफारिश की जाती है ।

11. विशेषकर यदि बहुल कुटुम्ब सदस्य अंतर्वलित हैं तो डी.एन.ए. आधारित पहचान पी.ओ.एस.एम., प्रिंज इटएल/न्यायालयिक विज्ञान अंतररा-ट्रीय आनुवंशिकी 1(2007) 3-12 9 सिबले प्राचीन प्राणी शास्त्र और/या पारिस्थितिक आंकड़ा, द्वितीय पहचान तरीके या बहु डी.एन.ए. प्रतिनिर्देश के आधार पर किया जाए ।

12. डी.वी.ए. कार्य में, डी.एन.ए. आंकड़े संभावित अनुपात के रूप में सर्वोत्तम रूप से

प्रतिवेदित होते हैं जो बहुल आनुवंशिकी प्रणाली या अन्य गैर डी.एन.ए. साक्ष्य से संयोजित किए जाने पर डी.एन.ए. परिणाम प्रदान करते हैं। संभाव्य अनुपात तब अवधारित किया जाना चाहिए जब अकेले डी.एन.ए. आंकड़ा पहचान के लिए पर्याप्त हो; यह घटना के आकार और परिस्थितियों (अर्थात् सघन बनाम खुला) पर आधारित होगा। सभी साक्ष्य और/या परिस्थितियों का परीक्षण पहचान करते समय किया जाए चाहे यदि डी.एन.ए. प्राथमिक या एकमात्र साक्ष्य घटक उपलब्ध कराता हो।

13. प्रयोगशालाओं की तैयारी योजना में कुटुम्ब अधिसूचना, दीर्घ अवधि नमूना प्रबंध और आंकड़ा रखरखाव के लिए नीतियां सम्मिलित करना आवश्यक है।

3.4 भावी सामूहिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, डी.वी.आई. कार्य और अनुक्रिया योजना में न्यायालयिक आनुवंशिकीविदों को प्रशिक्षित करना वांछनीय और काफी अपेक्षित है। डी.वी.आई. में अंतर्वलित कौशल का आपराधिक मामलों और संबंध अन्वेषणों में डी.एन.ए. परीक्षण से गहन संबंध है। विधिमान्य प्रक्रिया और अच्छे प्रयोगशाला पद्धतियों के पालन से गलत और नकारात्मक परिणाम कम होंगे और पहचान की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। डी.एन.ए. को पहचान के लिए एकमात्र उपकरण नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि कई परिस्थितियां पीड़ितों के दंत अभिलेखों या फिंगरप्रिंट लक्षणों की तीव्र पहचान की अनुज्ञा देते हैं।⁷ तथापि, बहुल तरीकों के लगातार परिणामों से प्रत्येक पहचान के विश्वास स्तर में भी सुधार होगा। अंतर-अनुशासनिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाए और इसके तरीकों को डी.वी.आई. दल सदस्यों में शीघ्र विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. डी.वी.आई. से संबंधित नीतिपरक और व्यावहारिक मुद्दे

3.5 डी.वी.आई. के विशिष्ट मामले में मानव अवशेषों की पहचान के दौरान कई नीतिपरक और संवेदनशील मुद्दे उद्भूत होते हैं। एक प्रमुख कारक जो शवदाह या शवोत्खनन को नजरअंदाज करता है और पहचान प्रयास गायब के नातेदारों से कमजोर संसूचना रखता है। जीवित जनसंख्या की समझ महत्वपूर्ण है फिर भी कठिन है क्योंकि जनसंख्या पर सामूहिक दुर्घटनाओं के प्रभाव से भिन्न-भिन्न और जटिल हैं क्योंकि ऐसे दृष्टांत के परिणामस्वरूप व्यक्ति न केवल अपने कुटुम्ब के सदस्यों और नातेदारों को बल्कि अपने आय के साधन को भी खोता है। इससे बच्चे अपने माता-पिता और अपनी जड़ों से वंचित हो सकते हैं। जीवित व्यक्ति न केवल अपने कुटुम्ब के सदस्यों की मृत्यु से ग्रस्त होते हैं बल्कि अन्य अनेक अभिघातों से भी ग्रस्त होते हैं।⁸

3.6 डी.वी.आई. के मामले में मानव अवशेषों के खोज के लिए अनेक विधिसम्मत प्रयोजन अभिभावी होते हैं। इसमें पूर्वोक्त उठाए गए मुद्दे और प्रश्न गायब व्यक्तियों के पहचान करने के प्रयोजन के लिए विशिष्टतः तलाश से संबंधित हैं। मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत गायब व्यक्ति के कुटुम्ब को सहायता करना है।

⁷ आर. लेस्सीज, सी. गुंदमन्न, एफ. दाहल्मन्न, के. रोजसचर, जे. ईदेलमन्न, पी. एम. सचिंदर, सुनामी 2004 - पीड़िता की पहचान के लिए सतत फॉरेंसिक चिकित्सा कार्य के एक वर्ग की समीक्षा, एक्सेल. आई. जे. 5 (2006) 128-139.

⁸ डस्ट टू डस्ट से - एरीन डी. विलियम्स, जॉन डी. क्रूज, द्वारा सामूहिक क्रब से शवों की अवस्थिति, उत्खनन और पहचान में अंतर्वलित नैतिक और व्यावहारिक मुद्दे, क्रोशियन मेडिकल जॉर्नल 44(3) 251-258, 2003.

ग. आपराधिक अन्वेषण में डी.एन.ए. डाटाबेस की नीतिपरक-विधिक समस्या

3.7 डी.एन.ए तकनीक में प्रगति और डी.एन.ए पोलिमॉर्फिज्म ने आपराधिक अन्वेषण के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के डी.एन.ए. डाटाबेस के सृजन को सुकर बनाया है।⁹ कई नीतिपरक और विधिक समस्याएं डी.एन.ए. डाटाबेस की तैयारी में उद्भूत होती हैं और इन समस्याओं को विनय के विधिक उपबंधों द्वारा उचित रूप से समाधान किए जाने की अपेक्षा है। ऐसी तीन संभावनाएं हैं जिनमें डाटाबेस तैयार और व्यवहृत किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक के अपने लाभ और खामियां हैं। इसके अलावा प्रत्येक संभाव्यताओं में उद्भूत संविवाद मुद्दों को विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार एक संभाव्यता का चयन करने के लिए परीक्षा किए जाने की अपेक्षा है।

(i) जनसंख्या के सामान्य डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग विश्लेषण और अपराध स्थल पर पाए गए सभी साक्ष्यों के डी.एन.ए. रूपरेखा विश्लेषण पर आधारित प्रणाली।

(ii) केवल विशिष्ट अपराधों की सूची के लिए नमूनों का डी.एन.ए. विश्लेषण और इन विशिष्ट अपराधों के लिए अपराध स्थल पर पाए गए सभी साक्ष्य के डी.एन.ए. रूपरेखा के अभिलेखन पर आधारित प्रणाली।

(iii) ऐसे किसी व्यक्ति जो अन्वेषण के अधीन अपराध से काफी अधिक मात्रा तक संबंधित होने की जानकारी है से नमूना लेना और साक्ष्य का मिलान जिसे इस विशिष्ट अन्वेषण में एकत्र किया गया है, मामले के विशिष्ट विश्लेषण पर ही आधारित प्रणाली।¹⁰

3.8 जब अपराध स्थल (उदाहरण के लिए रक्त, बाल, लार, स्पर्म, आदि) पर पाए गए साक्ष्य के डी.एन.ए. विश्लेषण की तुलना ऐसे नमूनों के विश्लेषण से की जाती है जो डाटाबेस तैयार करते हैं तो अन्वेषक अपराध के संभावित कर्ता का पता लगा सकता है।

⁹ शनाइडर पी.एम. डेटेंबैंडइन्मीटजेनेटिस्चेन मर्कमलेन वोन स्ट्राफ्टेफतातेरन (आपराधिक डीएनए डाटाबेस : डाटा संरक्षण और सुरक्षा) दतेनसचुत्जअनद दतेंसिचेरहेइत 1998 ; 22:330-3

¹⁰ चिकित्सीय नीतिशास्त्र 2000 के पत्रिका में आपराधिक जांच में डीएनए डाटाबेस नैतिक विधिक समस्याएं (मार्गरिता गुईल्लेन, मैरिया विक्टोरिया लेरिउ, कार्मैला पेस्टोनी, एंटोनियो सेलास और एंगेल कैररेकेडा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटियागो दी कम्पोस्टेला, स्पेन) ; 26:226-271.

अध्याय 4

डी.एन.ए. रूपरेखा का संवैधानिक और विधिक पहलू

4.1 संविधान अनुच्छेद 51क(ज) और (ज) के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक पर 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने' और 'व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने का' कर्तव्य सौंपता है। संसद् ऐसे विधान बनाने के लिए सक्षम है जो अपराध का पता लगाने के विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित करते हैं, अन्वेषण में गति प्रदान करते हैं तथा उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा में विकास में मानक अवधारित करते हैं (संघ सूची की प्रविष्टि 65 और 66)। संविधान के अन्य सुसंगत उपबंध, (i) अनुच्छेद 20(3) जो स्वयं को न फंसाने के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है और (ii) अनुच्छेद 21 जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, हैं।

क. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

4.2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 'विवाद्यक या सुसंगत तथ्यों के स्प-टीकरण या पुरःस्थापन के आवश्यक तथ्य के बारे में है। धारा 45 में यह उपबंध है कि कोई न्यायालय कैसे विदेशी विधि या विज्ञान या कला या हस्तलेख (या अंगुलि छाप) के बिंदु पर अपनी राय गठित करेगा। धारा 51 ऐसे आधारों का उल्लेख करता है जब राय सुसंगत होती है। धारा 112 में यह उपबंध है कि किसी विधिमान्य विवाह के जारी रहने के दौरान जन्म केवल इस अपवाद के साथ धर्मजता का निश्चयक सबूत है कि माता-पिता का गर्भाधान की अवधि के दौरान एक-दूसरे से कोई संपर्क नहीं था। अनुच्छेद 114 के अधीन न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है।

4.3 यदि किसी विशेषज्ञ का साक्ष्य धारा 45 के अधीन सुसंगत है तो ऐसा आधार जिस पर ऐसी राय व्युत्पन्न की गई है, भी धारा 51 के अधीन सुसंगत है। धारा 46 विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य के बारे में है। डी.एन.ए. रूपरेखा पर आधारित विशेषज्ञ की राय भी इसी सादृश्यता पर सुसंगत है। तथापि, क्या डी.एन.ए. परीक्षा का निदेश दिया जाए या नहीं, हमेशा विवादयोग्य मुद्दा रहा है।

ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

4.4 धारा 53क यह उपबंध करते हुए 23 जून, 2006 से दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया कि बलात्संघ के अभियुक्त की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जा सकती है जिसमें डी.एन.ए. रूपरेखा के लिए अभियुक्त से शारीरिक पदार्थ का लेना सम्मिलित होगा।

4.5 यह उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधन धारा 53 और 54 के स्प-टीकरण के स्थान पर रखा गया और इसे विशेषकर डी.एन.ए. रूपरेखा सहित आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग के संबंध में 'परीक्षा' की व्याप्ति को स्प-ट करने के लिए धारा 53क को लागू बनाया गया। धारा 53

पुलिस अधिकारियों को रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अन्वे-ण के अनुक्रम में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा कराने को प्राधिकृत करती है। स्प-टीकरण में यह उपबंध है कि 'परीक्षा के अंतर्गत **डी.एन.ए. रूपरेखा** सहित आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग द्वारा रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वैब, थूक और पसीना, बाल का नमूना, अंगुलि नाखून कतरन है और ऐसे अन्य परीक्षण जिसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशि-ट मामले में आवश्यक समझता है।'

4.6 धारा 311क मजिस्ट्रेट को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट को सशक्त करने के लिए जोड़ा गया था।

ग. व्यक्तियों के स्वयं को फंसाने वनिस्पत संविधान के अनुच्छेद 20(3) से संबंधित निर्णय

4.7 **बम्बई राज्य बनाम काथी कालू ओघद और अन्य**¹¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में स्वयं को फंसाने के मुद्दे पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया :-

... स्वयं को फंसाने का अभिप्राय सूचना देने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाना होना चाहिए और ऐसे न्यायालय में दस्तावेज पेश करने की मात्र तकनीकी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं हो सकता जो संविवाद के किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डाल सके। किंतु जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर अभियुक्त का कोई कथन अंतर्वलित नहीं होता। ऐसे अभियुक्त का उदाहरण दिया गया जिसके कब्जे में ऐसा दस्तावेज है जो उसकी लिखावट में है या जिस पर उसके हस्ताक्षर या उसका अंगुठा निशान है। यह मत व्यक्त किया गया कि अभियुक्त की लिखावट या हस्ताक्षर या छाप की तुलना की दृष्टि से ऐसे दस्तावेज को पेश करना अभियुक्त व्यक्ति का कथन नहीं है जिसे व्यक्तिगत परिसाक्ष्य की प्रकृति का कहा जा सके। मैं इस न्यायालय की अन्य सुसंगत मताभिव्यक्ति को उद्धृत करता हूँ :

जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को अन्वे-ण करने के लिए न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसकी अंगुलि छाप या हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना देने के लिए बुलाया जाता है तो वह व्यक्ति परिसाक्ष्य की प्रकृति का कोई परिसाक्ष्य नहीं देता। व्यक्तिगत परिसाक्ष्य का देना उसकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। वह किसी प्रकार का कोई कथन दे सकता है या कोई कथन देने से इनकार कर सकता है। किंतु माया द्वारा उसके सही प्रकृति के छिपाने के प्रयासों के बावजूद उसकी अंगुलि छाप या उसकी लिखावट में कोई अंतर्निहित प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो सकता। इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा अंगुलि छाप या लिखावट नमूना या हस्ताक्षर नमूना का दिया जाना यद्यपि व्यापक दृष्टिकोण से यह साक्ष्य दिए जाने के समान है किंतु यह साक्षी होने के पद के भीतर सम्मिलित नहीं हो सकता।

(रेखांकन पर बल दिया गया है)

4.8 इस प्रकार न्यायालय ने यह नि-क-र्न निकाला कि अंगुठे की छाप या पैर या हथेली या अंगुलि का छाप देना या लिखावट का नमूना देना या पहचान के दौरान शरीर के किसी भाग को

¹¹ ए.आई.आर. 1961 एस. सी. 1808.

दिखाना 'साक्षी होने' पद में सम्मिलित नहीं होता है क्योंकि बाद वाले का अभिप्राय न्यायालय में या अन्यथा किया गया या दिया गया मौखिक कथन या लिखित कथन द्वारा संदत्त तथ्यों की बाबत जानकारी प्रदान करना है ।

4.9 श्रीमती सेलबी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य¹² वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह विचार किया कि क्या नारको विश्लेषण, पोलीग्राफ परीक्षण और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (बी.ई.ए.पी.) परीक्षण जैसे कतिपय वैज्ञानिक तकनीक का अस्वैच्छिक प्रशासन और उसका परिणाम संविधान के अनुच्छेद 20(3) का वर्जन आकर्षित करते हुए 'परिसाक्ष्य प्रकृति' का है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

“..... यह मत व्यक्त किया गया कि 'परिसाक्ष्य बाध्यता' की व्याप्ति को दो आधारों पर स्पष्ट किया गया है । पहला यह है कि मामूली तौर पर यह मौखिक या लिखित कथन है जो सुसंगत तथ्यों की बाबत व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी संसूचित करता है जो 'व्यक्तिगत परिसाक्ष्य' के समान है जिसके द्वारा यह अनुच्छेद 20(3) द्वारा अनुध्यात प्रतिभेद के भीतर आता है । अधिकांश मामलों में ऐसे 'व्यक्तिगत परिसाक्ष्य' को आसानी से शारीरिक पदार्थ और अन्य शारीरिक वस्तु जैसे तात्त्विक साक्ष्य से भिन्न किया जा सकता है । दूसरा आधार यह है कि कुछ मामलों में मौखिक या लिखित कथनों का अवलंब लिया जा सकता है किंतु ऐसे तथ्यों और सामग्री की पहचान या तुलना के प्रयोजन के लिए ही जो पहले से ही अन्वेषक के कब्जे में है । अनुच्छेद 20(3) के वर्जन का तब अवलंब लिया जा सकता है जब कथनों द्वारा स्वयं को फंसाने या साक्ष्य की कड़ी में जुड़ाव की संभावना व्यक्त करते हैं । यह अभिनिर्धारित किया गया कि सभी तीनों तकनीक परिसाक्ष्य अनुक्रिया में अंतर्वलित हैं । वे जनता के मौन बने रहने के अधिकार में अड़चन डालते हैं, जनता अपनी निजी इच्छा के बावजूद व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए आबद्ध हैं । इन परीक्षणों के परिणाम को भौतिक साक्ष्य से जोड़ा जा सकता है जिससे कि उसे अनुच्छेद 20(3) के संरक्षणार्थक व्याप्ति से अपवर्जित किया जा सके । इस न्यायालय ने यह नि-कर्ण निकाला कि आक्षेपित तकनीक का अनिवार्य प्रशासन स्वयं के फंसाने के प्रति अधिकार का अतिक्रमण करता है । अनुच्छेद 20(3) का लक्ष्य व्यक्तिगत जानकारी की बलात् प्रवहण को रोकना है जो विवाद्यक तथ्यों के लिए सुसंगत है । प्रत्येक आक्षेपित परीक्षणों से अभिप्राप्त परिणाम का परिसाक्ष्य लक्षण है और उन्हें शारीरिक पदार्थ और अन्य भौतिक वस्तुओं जैसे तात्त्विक साक्ष्य के रूप में प्रवर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

4.10 रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹³ वाले मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या किसी व्यक्ति की सहमति के बिना ध्वनि आरेखण परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(3) अपमानित करता है और यदि उक्त उपबंध का अतिक्रमण नहीं होता है तो क्या किसी मजिस्ट्रेट को किसी कानूनी उपबंध या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन अंतर्निहित शक्ति के अभाव में उसकी

¹² ए.आई.आर. 2010 एस. सी. 1974.

¹³ (2013) 2 एस. सी. सी. 357 ; मुरलीधरन मेघराज बनाम महारा-द्र राज्य ए.आई.आर. 1976 एस. सी. 1929. किसन त्रिम्बक कोथुला और अन्य बनाम महारा-द्र राज्य ए.आई.आर. 1997 एस. सी. 435 ; और महारा-द्र राज्य बनाम नटवरलाल दामोदरदास सोनी ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 593.

सहमति के बिना ऐसा परीक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश देने की सक्षमता है ।

4.11 न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा परीक्षण करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अधिदेश का अतिक्रमण नहीं करता जैसा कि **सेल्वी**¹⁴ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है । तथापि, दूसरे प्रश्न के संबंध में भिन्न-भिन्न मत हैं ।

4.12 माननीय न्यायमूर्ति रंजना देशाई ने यह मत व्यक्त किया :-

“इस प्रयत्नित सादृश्यता के आलोक में, हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि डी.एन.ए. रूप रेखा तकनीक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53, 53क और 54 के संशोधित स्प-टीकरण में चिकित्सा परीक्षा के विभिन्न प्ररूपों में व्यक्ततः सम्मिलित किया गया है । यह भी स्प-ट किया जाना चाहिए कि ‘डी.एन.ए. रूपरेखा’ डी.एन.ए. नमूना से भिन्न है जिसे शारीरिक पदार्थ से अभिप्राप्त किया जा सकता है । डी.एन.ए. रूपरेखा न्यायालयिक विशेषज्ञों को उपलब्ध कराए गए डी.एन.ए. नमूने के आधार पर सृजित अभिलेख है । अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का डी.एन.ए. रूपरेखा सृजित करना और बनाए रखना उपयोगी पद्धति है क्योंकि नये अभिप्राप्त डी.एन.ए. नमूनों की तुलना पहले से विद्यमान रूपरेखा से की जा सकती है जो पहले से ही विधि प्रवर्तन अभिकरणों के कब्जे में है । डी.एन.ए. नमूना मिलान को विनिर्दिष्ट आपराधिक कार्यों से संदिग्ध व्यक्तियों को जोड़ने के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि **काथी कालू ओघद (बम्बई राज्य बनाम काथी कालू ओघद और अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1808)** वाले मामले में बहुमत विनिश्चय के अनुसार मिलान और पहचान के प्रयोजनों के लिए अंगुलि छाप जैसे तात्त्विक नमूनों का उपयोग अनुच्छेद 20(3) के प्रयोजन के लिए परिसाक्ष्यीय कार्य के समान नहीं है । अतः, ऐसे डी.एन.ए. नमूने, जो भौतिक साक्ष्य की प्रकृति के हैं, का लेना और प्रतिधारण किया जाना भारतीय संदर्भ में संवैधानिक बाधा नहीं झेलता । तथापि, यदि डी.एन.ए. रूपरेखा तकनीक का आगे परिसाक्ष्यीय प्रयोजनों के लिए विकास और उपयोग किया जाता है तो भविष्य में ऐसे उपयोगों को न्यायिक अधिकार क्षेत्र में चुनौती झेलनी पड़ सकती है ।

(रेखांकन पर बल दिया गया है)

4.13 तथापि, एक अन्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति आफताब आलम ने यह मत व्यक्त किया :-

वस्तुतः ऐसे पूर्व निर्णय हैं जहां न्यायालय ने निर्वचनात्मक प्रक्रिया द्वारा समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए पुरानी विधियां विकसित कीं और उनमें वर्तमान की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार अंतर्वस्तु पिरोये जो विधि बनाते समय परिकल्पित नहीं किए थे । किंतु, ध्वनि नमूना देने के लिए अभियुक्त को बाध्य करने के प्रश्न पर, विधि विधायिका द्वारा बनाया जाना चाहिए न कि न्यायालय प्रक्रिया द्वारा ।

(रेखांकन पर बल दिया गया है)

4.14 तथापि, यह उल्लेखनीय है कि न्यायपीठ की राय में अंतर होने के कारण, मामला बृहत्तर

¹⁴ पूर्वोक्त टिप्पण 12.

न्यायपीठ के समक्ष विचारार्थ लंबित है ।

4.15 कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य¹⁵ और रमण लाल भोगी लाल साह बनाम डी. के. गुहा¹⁶ वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 20(3) कतई ऐसे मामले को लागू नहीं होता जहां संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वादे के बिना अभियुक्त द्वारा की गई है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24-27 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 162 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्यताधीन है कि अभियुक्त की संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी, वादा या भय से उपाप्त नहीं की गई है ।¹⁷ साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अधीन गारंटीकृत मौन के अधिकार का विस्तार है क्योंकि यह स्प-ट करता है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वादे के अधीन अभियुक्त द्वारा दी गई कोई सूचना नेमो डेबेट प्रोडरसे ईप्सम सूक्ति अर्थात् किसी भी व्यक्ति को स्वयं के प्रति विश्वासघाती होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, द्वारा आपराधिक कार्यवाहियों के अधीन असंगत है।¹⁸ अभियुक्त को स्वयं को फंसाने वाले दस्तावेज पेश करने से इनकार करने का अधिकार है ।¹⁹

4.16 उच्चतम न्यायालय ने भवानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव, उड़ीसा राज्य महिला आयोग²⁰ वाले मामले में न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में डी.एन.ए. परीक्षण के महत्व पर बल देते हुए यह अभिनिर्धारित किया :-

जब किसी व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा को बलपूर्वक स्वयं प्रस्तुत न करने के निजता के अधिकार और सच्चाई तक पहुंचने के न्यायालय के कर्तव्य के बीच प्रकट विरोध हो तो न्यायालय को पक्षकारों के हितों को संतुलन बनाने के पश्चात् ही और इस पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् कि क्या मामले में उचित विनिश्चय करने के लिए डी.एन.ए. परीक्षण की उत्कृ-टतः आवश्यकता है, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकेगा ।

4.17 कृ-ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य²¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्प-ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क के अभाव में भी डी.एन.ए. रूपरेखा विधि के अधीन अनुज्ञेय की जा सकती है । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

अब 23 जून, 2006 से दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 53क के आमेलन के पश्चात् अभियोजन के लिए अभियुक्त के विरुद्ध अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन को सुकर बनाने हेतु इस तरह के मामलों में डी.एन.ए. परीक्षण करना आवश्यक हो गया है । वर्ष 2006 के पूर्व, दंड प्रक्रिया संहिता के पूर्वोक्त विनिर्दि-ट उपबंधों के बिना भी अभियोजन मामले को ठीक तरह साबित करने के लिए डी.एन.ए. परीक्षण कराने की इस प्रक्रिया का अब भी अवलंब ले सकती है ।

¹⁵ ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 131.

¹⁶ ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 1196.

¹⁷ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1125.

¹⁸ शिव नारायण धिंगरा, “भारत के संविधान के अंतर्गत शांत रहने का अधिकार”, 41 जे.सी.पी.एस. 32 (2007).

¹⁹ गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल मोहनलाल चोक्सी, ए. आई.आर. 1965 एस. सी. 1251.

²⁰ ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 2851.

²¹ (2011) 7 एस.सी.सी. 130.

4.18 सुधीर चौधरी और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली रा-द्रीय राज्य क्षेत्र)²² वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त को ध्वनि नमूना देने का निदेश दिया जा सकता है क्योंकि यह परिसाक्ष्य नहीं है बल्कि यह पहचान आंकड़ा गठित करता है ।

4.19 लीना कटियार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य²³ वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अंतर्निहित शक्ति या कानूनी प्राधिकार के अभाव में भी मजिस्ट्रेट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के साथ पठित धारा 165 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए पहचान के लिए अभियुक्त को ध्वनि नमूना देने का निदेश देने के लिए सक्षम है । किंतु गुजरात उच्च न्यायालय ने नटवर लाल अमरसीभाई देवानी बनाम गुजरात राज्य और अन्य²⁴ वाले मामले में यह मत व्यक्त करते हुए प्रतिकूल मत व्यक्त किया कि मजिस्ट्रेट को ध्वनि आरेखन परीक्षण का आदेश देने के लिए समर्थ बनाने वाले किसी उपबंध के अभाव में, न्यायालय अभियुक्त को ध्वनि नमूना देने का निदेश देने के लिए सक्षम नहीं है ।

4.20 नवीन कृ-ण बोथीरेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य²⁵ वाले मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को चिकित्सा परीक्षण/ क्षमता परीक्षण या स्तंभन दोन (ई.डी.) परीक्षण कराने का निदेश देने के आदेश को कायम रखा कि ऐसे परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 के अधिदेश का अतिक्रमण नहीं करते ।

4.21 न्यायालयों में लगतार यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त ऐसे परीक्षण नहीं करना चाहता तो न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के दृ-टांत या के अधीन प्रतिकूल नि-क-र्न निकालने के लिए स्वतंत्र है ।²⁶ तथापि, रोहित शेखर बनाम नरायणदत्त तिवारी और अन्य²⁷ वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि “किसी व्यक्ति को इस कारण परीक्षण कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि तुलनात्मकतः कमजोर प्रतिकूल अनुमान से संतु-ट होने की बात कहकर पक्षकार के मूल्यवान अधिकार को छीना नहीं जा सकता ।”

4.22 गौतम कुंडु बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य²⁸ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

- (1) भारत की न्यायालय सामान्य अनुक्रम में रक्त परीक्षण का आदेश नहीं दे सकते ;
- (2) जब कभी सघन जांच के लिए ऐसे अनुरोधों के लिए आवेदन किए जाते हैं तो रक्त परीक्षण के अनुरोध को ग्रहण नहीं किया जा सकता ;
- (3) ऐसे मामले में ठोस प्रथमदृ-ट्या मामला होना चाहिए कि पति साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अधीन उद्भूत उपधारणा को दूर करने के लिए गैर पहुंच स्थापित करे ;

²² (2016) 8 एस.सी.सी. 307.

²³ 2015 क्रि. ला. ज. 4683.

²⁴ 2017 क्रि. ला. ज. 1911.

²⁵ 2017 (1) ए.एल.टी. (क्रि.) 422 (ए.पी.).

²⁶ -वही- थेगोरानी @ के. दमयंति बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य , 2004 क्रि. ला. ज. 4003 ; सुलाबाई बनाम जगन्नाथ और अन्य ए.आई.आर. 1959 मद्रा. 396 ; और हरजिन्दर कौर, पूर्वोक्त टिप्पण 1.

²⁷ 2012(2) आर.सी.आर. (क्रि.) 889.

²⁸ ए.आई.आर. 1993 एस. सी. 2295.

(4) न्यायालय को सावधानीपूर्वक यह परीक्षा करनी चाहिए कि रक्त परीक्षण का आदेश देने का क्या परिणाम होगा ; क्या इसका प्रभाव किसी बालक को दोगला और माता को चरित्रहीन महिला नामित कर कलंकित करना होगा ;

(5) किसी भी व्यक्ति को विश्लेषण के लिए रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता ।

4.23 कांति देवी बनाम पोशी राम²⁹ वाले मामले में न्यायालय ने बालक के पितृत्व के अवधारण करने के मुद्दे पर विचार और अभिनिर्धारित किया :-

वास्तविक डी.एन.ए परीक्षण के परिणाम को वैज्ञानिक रूप से सही कहा जाता है । किंतु यह ही अधिनियम की धारा 112 के निश्चायकता से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है । अर्थात् यदि कोई पति और पत्नी गर्भधारण के समय के दौरान एक साथ रह रहे थे किंतु डी.एन.ए परीक्षण से पता चला कि बालक पति से जात नहीं था, विधि की निश्चायकता अखंडनीय बनी रहेगी । यह ऐसे पति की दृष्टि से कठिन लगता है जो ऐसे बालक का पितृत्व सहन करने के लिए मजबूर होगा जिसकी उसे जानकारी नहीं है । किंतु ऐसे मामले में भी विधि दोगला होने से निर्दोष बालक के पक्ष में जाती है यदि उसकी माता और उसके पति गर्भधारण के समय के दौरान साथ-साथ रह रहे थे । अतः, निश्चायकता को खंडित करने के गैर पहुंच के सबूत की मात्रा से संबंधित प्रश्न का उत्तर उपरोक्त रेखांकित पहुंच या गैर पहुंच के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए ।

4.24 तथापि, नंदलाल बासूदेव बादविक बनाम लतानंदलाल बादविक³⁰ वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय मामले में किए गए अभिकथनों की सत्यता का अवधारण करने के लिए डी.एन.ए. परीक्षा का निदेश दे सकेगा । यदि ऐसा परीक्षण कराने के निदेश से बचा जा सकता है तो इससे बचा जाना चाहिए । कारण यह है कि बालक की धर्मजता जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए ।

घ. संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन - निजता का अधिकार

4.25 यह मुद्दा कई बार उठाया गया कि क्या निजता का अधिकार संविधान के अधीन गारंटीकृत मूल अधिकार है । यदि उत्तर सकारात्मक है तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें निजता के अधिकार का व्यक्त उपबंध हो, ऐसे अधिकार के स्रोत और रूपरेखा को समझने की आवश्यकता है । एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र³¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के आठ न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त करते हुए तलाशी और अभिग्रहण के मामले पर विचार करते हुए ऐसे अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया :

..... तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति किसी विधि न्याय प्रणाली में सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए राज्य की अभिभावी शक्ति है और निश्चय ही उस शक्ति का विनियमन

²⁹ ए.आई.आर. 2001 एस. सी. 2226.

³⁰ ए.आई.आर. 2014 एस. सी. 932 ; धरम देव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 5 एस.सी.सी. 509 ; और दीपानविता रॉय बनाम रोनोंब्रोतो रॉय (2015) 1 एस.सी.सी. 365. देखें ।

³¹ ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 300.

विधि द्वारा किया जाता है। जब संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के चौथे संशोधन के समतुल्य निजता के मूल अधिकार की मान्यता द्वारा संवैधानिक सीमाओं के ऐसे विनियमन के अधीन लाना उचित नहीं पाया तो हमारे समक्ष विकृत अर्थान्वयन की किसी प्रक्रिया द्वारा बिल्कुल भिन्न मूल अधिकार में इसे तात्पर्यित करने का कोई औचित्य नहीं है।

4.26 इसी प्रकार, **खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**³² वाले मामले में छह न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने ऐसा ही मत व्यक्त किया :

.....न ही हम समझते हैं कि अनुच्छेद 21 का याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संदर्भ में कोई महत्व है। निजता का अधिकार हमारे संविधान के अधीन गारंटीकृत अधिकार नहीं है अतः किसी व्यक्ति के संचरण को सुनिश्चित करने का प्रयास जो मात्र एक रीति है जिसमें निजता पर आक्रमण किया गया है, भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

4.27 **राम जेठमलानी बनाम भारत संघ**³³ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार पर विस्तार से विचार किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :

निजता का अधिकार प्राण के अधिकार का अभिन्न भाग है। यह पवित्रतम संवैधानिक मूल्य है और यह महत्वपूर्ण है कि मानवों को स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुज्ञा दी जाए जो तब तक लोक संवीक्षा से मुक्त हैं जब तक वे विधि विरुद्ध रीति से कार्य नहीं करते। संवैधानिक मूल्यों के एक क्षेत्र के उत्सादन की समस्या का समाधान संवैधानिक मूल्यों के उत्सादन के एक क्षेत्र का सृजन नहीं हो सकता प्राण के अधिकार के भाग के रूप में निजता के अधिकार जैसे मूल अधिकारों की धारणा मात्र यह नहीं है कि राज्य उनमें से किसी को अपमानित करने से बचाए रखेगा। इसमें उन अन्य लोगों द्वारा मूल अधिकारों के प्रयोग के संदर्भ में भी समाज के अन्य लोगों की कार्रवाइयों के विरुद्ध भी उन्हें कायम रखने के राज्य के उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है।

4.28 **आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य**³⁴ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा इस देश के नागरिकों को गारंटीकृत प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह “अकेले बने रहने का अधिकार” है। प्रत्येक नागरिक को अन्य विनयों के साथ अपनी एकांतता, अपने कुटुम्ब के विवाह, जनन, मातृत्व, शिशु जन्म और शिक्षा के सुरक्षोपाय का अधिकार है

4.29 न्यायालय द्वारा यह व्यक्त करते हुए इसी प्रकार का मत दोहराया गया कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न भाग होने के कारण नागरिक का अधिकार है। किसी व्यक्ति की निजता में विधि विरुद्ध घुसपैठ अनुज्ञे नहीं है क्योंकि निजता का अधिकार हमारे संविधान के अधीन गारंटीकृत प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तथापि, निजता

³² ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1295.

³³ (2011) 8 एस.सी.सी. 1.

³⁴ ए.आई.आर. 1995 एस.सी.264.

का अधिकार आत्यंतिक नहीं हो सकता क्योंकि आपवादिक परिस्थितियों में विशेषकर निगरानी की दशा में कानूनी उपबंधों के अनुरूप युक्त निर्बंधन ऐसे अधिकार पर अधिरोपित किए जा सकते हैं। (महारा-द्र राज्य बनाम मधुकर नारायण मारदिकर³⁵, अनूज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया³⁶, भवेश जयंति लखानी बनाम महारा-द्र राज्य³⁷ और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य³⁸)

4.30 चार्ल्स वारेन और ल्यूस डी ब्रेंडिस द्वारा “निजता का अधिकार”³⁹ निजता के विधिक अवधारणा पर चर्चा के लिए अच्छा आरंभिक बिंदु है। लेख में यह मत व्यक्त किया गया है कि निजता या एकांतता में रहने का अधिकार एक ऐसा हित है जो व्यक्ति को प्रत्यक्षतः प्रारख्यान करने में समर्थ बनाने वाला होना चाहिए न कि अन्य लोगों के हितों को संरक्षित करने अपने प्रयासों से व्युत्पन्न होना चाहिए। निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य⁴⁰; पिपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टिज बनाम भारत संघ⁴¹, श्री एक्स. बनाम अस्पताल जेड.⁴²; पिपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टिज बनाम भारत संघ⁴³ और शारदा बनाम धर्मपाल⁴⁴ वाले मामलों में नागरिक के मूल अधिकार होने के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

4.31 जिला रजिस्ट्रार और कलक्टर, हैदराबाद बनाम केनरा बैंक⁴⁵ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निजता का अधिकार संपत्ति के अधिकार से भिन्न एक व्यक्तिगत अधिकार है। विधायिका द्वारा इसमें घुसपैठ को युक्तियुक्ता की कसौटि पर परखा जाना चाहिए और उस प्राप्तव्य ईप्सित प्रयोजन के लिए न्यायालय को घुसपैठ की आनुपातिकता वनिस्पत प्रयोजन पर विचार करना चाहिए क्योंकि “निजता का अधिकार” भारत के संविधान के भाग 21 में अनु-ठापित प्राण के अधिकार का भाग है। उक्त मामले का विनिश्चय करते हुए न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ⁴⁶ सहित कई पूर्व निर्णयों का अवलंब लिया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी नागरिक की निजता में विधि विरुद्ध घुसपैठ अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटीकृत प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है।

4.32 महारा-द्र राज्य और एक अन्य बनाम मधुकर नारायण मारदिकर⁴⁷ में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि “स्वच्छंदगामी महिला को ही निजता का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति जब कभी वह चाहे, उसकी निजता में हमला नहीं कर सकता।” तथापि, ऐसा अधिकार ऐसे

³⁵ ए.आई.आर. 1991 एस.सी.207.

³⁶ ए.आई.आर. 2008 एस.सी.663.

³⁷ (2009) 9 एस.सी.सी. 551.

³⁸ पूर्वोक्त टिप्पण 12.

³⁹ 4 हार्वर्ड एल. आर. 193 (1890).

⁴⁰ पूर्वोक्त टिप्पण 34.

⁴¹ ए.आई.आर. 1997 एस.सी.568.

⁴² ए.आई.आर. 1999 एस.सी.495.

⁴³ ए.आई.आर. 2003 एस.सी.2363.

⁴⁴ ए.आई.आर. 2003 एस.सी.3450.

⁴⁵ ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 186.

⁴⁶ ए.आई.आर. 1978 एस.सी.597.

⁴⁷ ए.आई.आर. 1991 एस.सी.207.

निर्बंधनों के अधीन हो सकता है जब सार्वजनिक हित के बाध्यकारी प्रश्न उद्भूत हों।⁴⁸ पुलिस उस प्रयोजन के लिए विरचित नियमों के अनुसार ही व्यक्ति की निगरानी कर सकती है क्योंकि निजता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है।⁴⁹

4.33 न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ⁵⁰ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय 'आधार कार्ड' (यू.आई.डी.ए.आई.) के विनय में विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि विनय पर प्रतिकूल निर्णय दिए गए हैं किंतु एम. पी. शर्मा⁵¹ और खड्ग सिंह⁵² वाले मामलों में अधिकथित विधि को यदि शब्दशः पढ़ा जाए और विधि के रूप में स्वीकार किया जाए तो अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटीकृत मूल अधिकार का बल और महत्ता अनावृत्त हो जाएगी। न्यायालय ने विवाद्यक मुद्दे के प्रामाणिक निर्वचन के लिए मामला बृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया है।

4.34 आर. के. डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस. आर. तेन्दुलकर⁵³ वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

संवैधानिकता की उपधारणा को कायम रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के विनयों, सामान्य रिपोर्ट के विनयों, समय के इतिहास पर विचार कर सकेगा और ऐसे सभी तथ्यों की उपधारणा कर सकेगा जो विधान के समय विद्यमान समझे जा सकते हैं।

4.35 आगे, एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य⁵⁴ वाले मामले का प्रतिनिर्देश निम्नलिखित रीति में गरिमा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया गया :

..... इस न्यायालय ने कई मामलों में इस सिद्धांत पर कि कतिपय गैर उल्लिखित अधिकार उपवर्णित प्रत्याभूतियों में निहित हैं, ऐसे मूल लक्षण निगमित किए जो भाग 3 में विनिर्दिष्ट: वर्णित नहीं है।

4.36 मूल अधिकारों पर निर्बंधन का उपबंध करने वाली विधि की संवैधानिक विधिमान्यता की परीक्षा करते समय लिया गया आनुपातिकता का उपाय सुसंगत हो जाता है। 'बाध्यकारी राज्य हित' व्यापक 'कठोर संवीक्षा' कसौटी का एक पहलू है जो अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन आफ इंडिया⁵⁵ वाले मामले में न्यायालय द्वारा लागू किया गया। अन्य आवश्यक घटक 'संकीर्ण काट-छांट' प्रदर्शित करना है अर्थात् राज्य को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि यद्यपि बाध्यकारी हित विद्यमान हैं तो भी ऐसा तरीका अपनाया गया है जो व्यक्तिगत अधिकारों पर संकीर्णतम संभव रीति से उल्लंघन करेगा।

⁴⁸ मलाक सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 760.

⁴⁹ गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1378 ; (भवेश जयंति लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, पूर्वोक्त टिप्पण 37 ; और रोई बनाम वाडे, 410 यू.एस. 113 (1973) भी देखें।

⁵⁰ (2015) 8 एस.सी.सी. 735.

⁵¹ पूर्वोक्त टिप्पण 31.

⁵² पूर्वोक्त टिप्पण 32.

⁵³ ए.आई.आर. 1958 एस.सी.538.

⁵⁴ (2006) 8 एस.सी.सी. 212.

⁵⁵ पूर्वोक्त टिप्पण 36.

4.37 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टिज बनाम भारत संघ और अन्य⁵⁶ वाले मामले में न्यायालय ने बेघर व्यक्तियों के बायोमेट्रिक पहचान को भी पृ-ठांकित किया जिससे कि ऐसे व्यक्ति जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, को खाद्य और मिट्टी के तेल की आपूर्ति जैसे फायदे असली व्यक्ति को पहुंच सके ।

4.38 लोक नीति फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य⁵⁷ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह समाधान होने पर रिट याचिका का निपटान किया कि पहचान सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया विकसित की गई है और विद्यमान तथा नये मोबाईल संख्या ग्राहकों के आधार कार्ड आधारित सत्यापन को अनुमोदित किया ।

4.39 विनय विश्वम बनाम भारत संघ और अन्य⁵⁸ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139कक के उपबंधों की विधिमान्यता की परीक्षा की जो स्थायी खाता संख्या के साथ आधार संख्या का उल्लेख करने का उपबंध करता है और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :

ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैन के लिए आवेदन करते समय पैनधारक नहीं है उनसे आधार संख्या देने की अपेक्षा है । यह धारा 139कक की उपधारा (1) का अनुबंध है जिसे हमने पहले ही कायम रखा है । उसी समय, जहां तक विद्यमान पैनधारकों का संबंध है, क्योंकि आक्षेपित उपबंधों पर अनुच्छेद 21 के अंग के रूप में निजता और मानव गरिमा की चर्चा सहित संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर विचार करना है, हमारी यह राय है कि जब तक अनुच्छेद 21 के पूर्वोक्त पहलू पर संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा विनिश्चय नहीं किया जाता पूर्वोक्त परंतुक पर आंशिक रोक आवश्यक है । ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही आधार के स्कीम के अधीन स्वयं का नामांकन करा लिया है, अधिनियम की धारा 139कक की उपधारा (2) की अपेक्षा का पालन करेंगे ।

4.40 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(अ) में यह उपबंध है कि व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटन जो व्यक्ति की निजता पर अनापेक्षित आक्रमण कारित करता हो, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक यह व्यापक लोकहित में आवश्यक न हो ।

(ड) साक्ष्य के रूप में विशेष-ज्ञ की राय

4.41 ऐसे मामलों में जहां न्यायालय द्वारा विशेष-ज्ञ राय की अपेक्षा होती है वहां विशेष-ज्ञों के लिए ऐसे सही कारणों के साथ-साथ जिनके आधार पर नि-क-र्न निकाला, सभी सुसंगत सामग्रियों द्वारा न्यायालय की सहायता करना लाजिमी हो जाता है जिससे कि न्यायालय इन सभी सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात् अपना निजी नि-क-र्न निकाले ।

4.42 तोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁵⁹ वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया :-

न्यायालय प्रसामान्यतः स्वीकार्यता की वृहत्तर भाव के साथ विशेष-ज्ञ की साक्ष्य का परिशीलन

⁵⁶ पूर्वोक्त टिप्पण 41.

⁵⁷ 6 फरवरी, 2017 को रिट याचिका (क्रि.) सं. 2016 का 607 का विनिश्चय किया गया ।

⁵⁸ 9 जनवरी, 2017 को रिट याचिका (क्रि.) सं. 2017 का 277 का विनिश्चय किया गया ।

⁵⁹ (2015) 7 एस.सी.सी. 178.

करती है किंतु न्यायालय पूर्णतः विशेषज्ञों की राय द्वारा मार्गदर्शित नहीं हैं विशेषकर यदि ऐसी रिपोर्टें गैर-सावधानीपूर्वक और कायमयोग्य नहीं । विशेषज्ञ का प्रयोजन प्राथमिकतः न्यायालय को अंतिम नि-कर्म पर पहुंचने में सहायता देना है किंतु ऐसी रिपोर्ट निश्चायक नहीं है । न्यायालय से रिपोर्ट का विशले-नण करने, अभिलेख के अन्य साक्ष्य के साथ मिलाकर इसको पढ़ने और अपनी अंतिम राय बनाने की प्रत्याशा है कि क्या ऐसी रिपोर्ट विश्वास योग्य है या नहीं ।

4.43 **रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम रिजेंसी अस्पताल**⁶⁰ वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

“साक्ष्य विधि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्पित है कि न्यायालय केवल उसी साक्ष्य पर विचार करता है जो उसे विश्वसनीय नि-कर्म तक पहुंचने में समर्थ बनाते हैं । विशेषज्ञ की राय ग्राह्य बनाने की यह सर्वप्रथम अपेक्षा है कि विशेषज्ञ की राय की सुनवाई करना आवश्यक है । कसौटी यह है कि वि-नय साधारण व्यक्ति की जानकारी और अनुभव से परे है यह अनुमान लगाया जाता है कि अंतर्वलित वैज्ञानिक प्रश्न न्यायालय की जानकारी के भीतर नहीं है इस प्रकार ऐसे मामले जहां अंतर्वलित विज्ञान काफी विशेषज्ञ प्रकृति का है और संभवतः गुप्त है वहां विशेषज्ञ के केंद्रीय नि-कर्म को विवादित नहीं किया जा सकता । विशेषज्ञ के साक्ष्य की ग्राह्यता की दूसरी अपेक्षा यह है ; (i) कि विशेषज्ञ विशेषज्ञता के मान्य क्षेत्र का ही होना चाहिए, (ii) साक्ष्य विश्वसनीय सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और (iii) विशेषज्ञ का उस शाखा में अर्ह होना चाहिए

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

4.44 **प्रेम सागर मनोचा बनाम राज्य (दिल्ली संघ राज्य)**⁶¹ वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

विशेषज्ञ का कर्तव्य न्यायालय को अपनी राय और सभी सामग्रियों के साथ-साथ अपनी राय का आधार प्रस्तुत करना है । इसके पश्चात् न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि क्या राय का आधार सही और उचित है और तब अपना नि-कर्म निकाले ।

विशेषज्ञ उस वि-नय पर अपनी राय देता है जिसका उसने परीक्षण किया है या उस वि-नय पर जो संवीक्षा की किसी प्रक्रिया से निकली है । तत्पश्चात् निकाला गया अनुमान अब भी उसकी जानकारी पर आधारित एक राय है । यदि तत्पश्चात् वह कोई प्रामाणिक सामग्री प्राप्त करता है जिससे भिन्न राय निकाली जा सकती है तो वह उस पर विचार करेगा, ऐसा न होने पर उसे बौद्धिकतः बेईमान के रूप में कलंकित किया जाएगा । वस्तुपरक दृष्टिकोण और सच्चाई के प्रति खुलापन वस्तुतः किसी राय का आधार होना चाहिए ।

4.45 उक्त मामले का विनिश्चय करते हुए, न्यायालय ने **नेशनल जस्टिस कंपनियां नैबेरा एस. ए. बनाम प्रूडेंसियल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**⁶² वाले मामले का अवलंब लिया और यह कहा :

⁶⁰ ए.आई.आर. 2010 एस.सी.806.

⁶¹ ए.आई.आर. 2016 एस.सी.290.

⁶² (1995) 1 लॉयड रिपोर्ट 445, क्यू.बी. (वाणिज्यिक डिवीजन).

“यदि विशेषज्ञ की राय पर उचित अनुसंधान नहीं किया गया है क्योंकि वह समझता है कि उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त हैं तो इस संकेत के साथ यह कहा जाना चाहिए कि राय अनंतिम से अधिक कुछ नहीं है। ऐसे मामलों में जहां ऐसा विशेषज्ञ साक्षी जिसने रिपोर्ट तैयार की है, यह प्राख्यान नहीं कर सकता कि रिपोर्ट की बात सही, पूर्णतः सही और किसी शर्त के बिना बिल्कुल सही है तो ऐसी शर्त का रिपोर्ट में उल्लेख होना चाहिए।” (डर्बी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वेल्डन और अन्य, द टाइम्स, 9 नवंबर, 1990, लार्ड जस्टिस स्टाघटन के अनुसार)”

4.46 परिकृत मशीनों के माध्यम से उपाप्त साक्ष्य को सम्यक् अधिमान दिया जाना चाहिए और ऐसे विशेषज्ञ की राय को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता जिसने अतिसूक्ष्मतः मामले की परीक्षा की।⁶³ अंगुलि छाप परीक्षा निश्चायक है क्योंकि यह एक सही विज्ञान है।⁶⁴

4.47 बालक के पितृत्व के अवधारण करने के मुद्दे पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के उपबंधों पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि डी.एन.ए. परीक्षण को न्यायालय के निदेश पर ही अनुज्ञेय बनाया जाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति पर ऐसे निदेश के बिना अपना रक्त देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।⁶⁵ उच्चतम न्यायालय ने पितृत्व वाले मामलों में डी.एन.ए. साक्ष्य की अनुज्ञा देने के अनुरोध को खारिज कर दिया है और एकमात्र गैर-पहुंच सिद्धांत का ही अवलंब लिया है।⁶⁶

4.48 सोलहवें विधि आयोग ने 2003 में प्रस्तुत अपनी 185वीं रिपोर्ट में धारा 112 में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया जो अबतक विचाराधीन है। आयोग ने (1) नपुंसकता या बांझपन ; (2) यह साबित करने के लिए रक्त परीक्षण कि व्यक्ति पिता नहीं है और (3) यह साबित करने वाला डी.एन.ए. परीक्षण कि व्यक्ति पिता नहीं है, जैसे अपवादों पर भी विचार किया।

4.49 शारदा बनाम धर्मपाल⁶⁷ वाले मामले में न्यायालय ने यह मत व्यक्त कि यदि प्रत्येक व्यक्ति डी.एन.ए. परीक्षण के माध्यम से स्वयं को बचाने के परित्राण के रूप में अनुच्छेद 21 का उपयोग करना आरंभ कर देगा तो विनिश्चय पर पहुंचना असंभव हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह अभिनिर्धारित किया कि डी.एन.ए. परीक्षण किसी अधिकार के अतिक्रमण के समान नहीं है।⁶⁸

4.50 ऐसी स्थिर विधिक प्रतिपादना के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता कि कानूनी उपबंध और बाध्यकारी विधिक सिद्धांत ‘बाध्यता’ गठित नहीं कर सकते जो किसी व्यक्ति के आधारभूत या संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है। ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन स्वयं एक संवैधानिक बाध्यता है।⁶⁹

⁶³ रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1204.

⁶⁴ जसपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1708.

⁶⁵ सदाशिव मल्लिकार्जुन खेदारकर बनाम नंदनी सदाशिव खेदारकर 1995 क्रि. ला. ज. 4090 (बाम्बे)

⁶⁶ कांति देवी बनाम पोशी राम ए.आई.आर. 2001 एस.सी.2226.

⁶⁷ पूर्वोक्त टिप्पण 44.

⁶⁸ कंचन बेदी बनाम श्री गुरप्रीत सिंह, ए.आई.आर. 2003 दिल्ली 446.

⁶⁹ आंध्र सुगर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1968 एस. सी. 599 ; सिद्धेश्वर सहकरी सकर कारखाना लिमिटेड बनाम सी.आई.टी. कोल्हापुर और अन्य ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4716 ; और हरजिन्दर कौर , पूर्वोक्त टिप्पण 1.

अध्याय 5

अन्य देशों की विधियां

5.1 अधिकांश देशों में अपने संवैधानिक और अन्य विधि सिद्धांतों विशेषकर आपराधिक मामलों से निपटने की अवसंरचना के भीतर डी.एन.ए. रूपरेखा से संबंधित विधियां अधिनियमित की हैं। डी.एन.ए. रूपरेखा के माध्यम से आपदा पीड़ितों की पहचान के लिए तंत्र भी विकसित किया गया है।

क. अर्जेंटाइना

5.2 रा-ट्रीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता को वर्ष 2009 में कतिपय परिस्थितियों में न्यायाधीशों को अनिवार्य डी.एन.ए. परीक्षण का आदेश देने की शक्ति प्रदान करते हुए अनुच्छेद 218 के अधीन अवैध अंगीकरण और पहचान के मिथ्याकरण के मामलों में डी.एन.ए. परीक्षण के एक समान दृष्टिकोण का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया है। उन्होंने आनुवंशिक आंकड़ा और डी.एन.ए. के रा-ट्रीय बैंक को स्थापित किया। अर्जेंटाइना डी.एन.ए. विधि ऐसे अधिकारों से संबंधित कोई भी विकल्प नहीं छोड़ती जिसमें कोई व्यक्ति डी.एन.ए. परीक्षण से इनकार करे और निजता के अधिकार का कतई प्रयोग करने से व्यक्ति को निवारित करे। इस प्रकार विद्यमान विधिक सत्ता में, यह अर्जेंटाइना की विधायी सक्षमता के भीतर है कि वह इस तरह से विधान बनाए जो सच्चाई के एक अधिकार के अनुकूल निजता के दूसरे अधिकार के पक्ष में हो।⁷⁰

ख. संयुक्त रा-ट्र अमेरिका

5.3 1990 के पूर्वार्ध में फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन ने गंभीर अपराधों को सुलझाने के लिए न्यायालयिक विज्ञान और कंप्यूटर तकनीक को एक प्रभावी साधित्र में समामेलित करने के प्रयोजन के साथ संयुक्त डी.एन.ए. इंडेक्स प्रणाली (सी.ओ.डी.आई.एस.) परिकल्पित किया। इसकी संपुटि यू.एस. उच्चतम न्यायालय के **मैरीलैंड बनाम किंग**⁷¹ वाले मामले में हाल ही के निर्णय में की गई जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति का डी.एन.ए. लेने और स्वयं की जांच विश्लेषण करने के लिए प्राधिकृत है और यह चौथे संवैधानिक संशोधन के अधीन विधि सम्मत है। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी के डी.एन.ए. नमूने की 13 कोडिस लोसी की प्रक्रिया इस प्रकार प्रत्यर्थी की निजता में घुसपैठ नहीं करती जिससे यह उसके डी.एन.ए. पहचान को असंवैधानिक बनाता हो। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, पहला, कोडिस लोसी डी.एन.ए. के गैर कोडिकृत भाग से निकाला जाता है जो गिरफ्तार व्यक्ति के आनुवंशिक लक्षणों को प्रकट नहीं करता। जैसाकि विज्ञान हमेशा प्रगतिशील हो सकता है और ऐसी प्रगति चौथे संशोधन परिणामों से संगत हो सकते हैं फिर भी कोडिस लोसी इस समय पहचान से पड़े कोई सूचना प्रकट नहीं कर रहा है।

5.4 यूनाइटेड स्टेट्स में, डाटाबेस में शामिल अपराधों के प्रकार भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए

⁷⁰ प्रो. एलिजाबेथ बी. लुदविन किंग (हितों का विरोध : निजता, सच्चाई और लापता हुए अर्जेंटाइना के बच्चों का अनिवार्य डीएनए परीक्षण) 2011.

⁷¹ 133 एस. क्रि. 1958 (2013).

भिन्न है। कुछ राज्यों में कई तरह के अपराध शामिल किए गए हैं और दूसरे राज्यों में डाटाबेस निर्बाधित हैं और केवल गंभीर अपराधों से संबंधित सूचना अंतर्वि-ट करते हैं।⁷²

5.5 **एंड्रूज बनाम स्टेट आफ फ्लोरिडा**⁷³ वाले मामले में, डी.एन.ए. साक्ष्य के साथ खिड़की पर छोड़ी गई एंड्रूज की नियमित अंगुलि छाप मिली थी और उसकी पहचान फोटो लाइनप में हाल ही के पीड़ित द्वारा की गई। इस मामले में ठोस डी.एन.ए. साक्ष्य को स्वीकार किया गया। **पीपुल आफ द स्टेट न्यूयार्क बनाम जोसेफ कार्स्टो**⁷⁴ वाले मामले में यह अवधारण करने के लिए कि क्या डी.एन.ए. साक्ष्य को स्वीकार किया जाए, तीन स्तरीय परीक्षण विकसित किया गया :

1. क्या वैज्ञानिक समुदाय में ऐसा सामान्य स्वीकृत सिद्धांत है जो इस नि-कर्म का समर्थन करता हो कि डी.एन.ए. न्यायालयिक परीक्षण विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है ?
2. क्या ऐसे वर्तमान तकनीक या परीक्षण हैं जो डी.एन.ए. पहचान में विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करने में समर्थ हैं और जो सामान्यतः वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार्य हैं ?
3. क्या परीक्षण प्रयोगशाला ने इस विशि-ट मामले के न्यायालयिक नमूनों का विश्ले-ण करने में स्वीकृत वैज्ञानिक तकनीक का पालन किया ?

5.6 **यू. एस. बनाम मैथ्यू साइबेस्टर टू बूल्स**⁷⁵ वाले मामले में अपील न्यायालय द्वारा नये पांच स्तरीय परीक्षण करने के लिए दो अतिरिक्त मानक जोड़े गए :-

1. क्या डी.एन.ए. साक्ष्य सामान्यतः वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकृत है ?
2. क्या इस मामले में प्रयुक्त प्रक्रियाएं सामान्यतः विश्वसनीय रूप में स्वीकार्य हैं यदि उचित रूप से पालन किया जाए ?
3. क्या इस मामले में परीक्षण ठीक तरह से किया गया ?
4. क्या साक्ष्य इस मामले में प्रमाणक की तुलना में अधिक पक्षपाती है ?
5. क्या उसी आनुवंशिक लक्षण वाले किसी और की संभाव्यता का अवधारण करने में प्रयुक्त आंकड़ा नियम 403 के अधीन पक्षपाती होने की तुलना में अधिक प्रमाणक है।

5.7 **पीपुल्स आफ द स्टेट्स आफ इल्लीनायस बनाम रेगी ई माइल**⁷⁶ वाले मामले में साक्ष्य में नियमित अंगुलि छाप और वीर्य के धब्बे शामिल किए गए थे, जिसका डी.एन.ए. मेरीलैंड की डी.एन.ए. पहचान कंपनी सेलमार्क डायग्नोस्टिक में वैज्ञानिकों द्वारा माइल से मेल खाता पाया गया। इस मामले का अंत डी.एन.ए. साक्ष्य और इस विश्वास सहित सामान्य ठोस समर्थन के साथ हुआ कि तकनीक से विश्वसनीय परिणाम निकल सकता है। **डाउवर्ड बनाम मेरेल डाउ फार्मास्युटिकल**⁷⁷ वाले मामले में पूर्व स्थिर साक्ष्य के मानकों और साक्ष्य के फेडरल नियमों का विस्तार से विश्ले-ण

⁷² संयुक्त राज्य अमेरिका के रा-द्रीय न्याय संस्थान से प्राप्त आंकड़ा (www/ojp.usdoj.gov/nij).

⁷³ 533 सो. 2डी. 841 (1988).

⁷⁴ 143 प्रकीर्ण 2डी. 276 (1989).

⁷⁵ 918 एफ2डी 56.

⁷⁶ 577 एन.ई.2डी. 477(1991).

⁷⁷ 509 यू.एस. 579 (1993)

करने के पश्चात् न्यायालय ने साक्ष्य के महत्व को रूपायित करने के लिए पांच मानदंड प्रस्तुत किए:

1. क्या सिद्धांत या तकनीक का परीक्षण किया गया है ?
2. क्या सिद्धांत या तकनीक का गहन पुनर्विलोकन और प्रकाशन किया गया है ?
3. क्या सिद्धांत या तकनीक की ज्ञात या त्रुटि की संभावना है ?
4. क्या सिद्धांत या तकनीक पर तकनीक के प्रचालन का नियंत्रण करने के मानक हैं ?
5. ऐसी मात्रा जहां तक सिद्धांत या तकनीक को सुसंगत वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार किया गया है ।

ग. कनाडा

5.8 कनाडा ने 30 जून, 2000 को डी.एन.ए. पहचान अधिनियम पारित किया जो डी.एन.ए. आंकड़ा बैंक की स्थापना की अनुज्ञा दी और अपनी आपराधिक संहिता को संशोधित किया । अधिनियम के महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार है :

1. यह न्यायाधीशों को दो-नी व्यक्तियों को रक्त, बाल के नमूने देने का आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है जो बैंक में रखे जाएंगे ।
2. रा-ट्रीय डाटा बैंक अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निजता बनाई रखी जाए ।
3. नमूनों का संग्रहण केवल विधिक प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है ।
4. आनुवंशिक नमूनों का संग्रहण वैधतः विधिमान्य है जब नमूने स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों द्वारा संगृहीत किए जाते हैं ।
5. महान्यायवादी को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश करने हेतु रा-ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान आयोग स्थापित किया गया :

- डी.एन.ए. जानकारी का समुचित उपयोग और प्रचार
- डी.एन.ए. जानकारी की सत्यता, सुरक्षा और गोपनीयता
- प्राचीन और गलत डी.एन.ए. जानकारी का समयबद्ध हटाना और न-ट करना
- निजता के संरक्षण के लिए उपाए किए गए हैं ।

5.9 आर. बनाम **स्टीलमैन**⁷⁸ वाले मामले में कैंनेडियन उच्चतम न्यायालय का यह बहुमत था कि यद्यपि व्यक्ति के शरीर या शारीरिक पदार्थ का अप्राधिकृत उपयोग “बाध्यताकारी परिसाक्ष्य” है किंतु यदि संभाव्यता के संतुलन की यह मांग है कि साक्ष्य आनुकल्पिक गैर आन्वयिक साधनों द्वारा पता लगाया जाए तो इसकी स्वीकृति विचारण को अनुचित नहीं ठहराएगी । आर. बनाम एस. ए. बी.⁷⁹ वाले मामले में कनाडा उच्चतम न्यायालय ने डी.एन.ए. विधान की संवैधानिक विधिमान्यता को

⁷⁸ (1997) 1 एस.सी.आर. 6075.

⁷⁹ (2003) 2 एस.सी.आर. 678 ; हरजिन्दर कौर, पूर्वोक्त टिप्पण 1 देखें ।

कायम रखा और डी.एन.ए. विशेषज्ञों के साक्ष्य के महत्व के मुद्दे पर विचार किया ।

घ. चीन

5.10 चीन ने वर्ष 1999 में न्याय मंत्रालय और आंतरिक मंत्रालय को डी.एन.ए. बैंक स्थापित करने की अनुज्ञा देते हुए विधि पारित की । इस विधान में सम्मिलित मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. अपराधी - दो-सिद्ध और संदिग्ध जो लिंग अपराधी हैं को ऐसे नमूने स्वैच्छिकतः उपलब्ध कराने होंगे ।
2. इनकारी की दशा में, अभियोजक को व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करने की शक्ति है ।
3. डी.एन.ए. के लिखित और फोटोग्राफिक नमूने 10 वर्ष तक रखे जा सकते हैं ।
4. ऐसा व्यक्ति जो ऐसा अपराध करने का संदिग्ध है जिसका दंड पांच वर्ष से अधिक है, से गैर - अंतरंग नमूने देने की अपेक्षा है ।

ड. यूनाइटेड किंगडम

5.11 डी.एन.ए. रूपरेखा का सर्वप्रथम उपयोग वर्ष 1986 में इंग्लैंड में एक आपराधिक मामलों में किया गया । दो बलात्संग और हत्या घटनाओं के पड़ोस में रह रहे और काम कर रहे व्यक्तियों से एकत्र किए गए डी.एन.ए. नमूनों से दो सकारात्मक परिणाम निकले । आरंभतः दो-सिद्ध एक व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ और एक वर्ष बाद दो-नी अपराधी व्यक्ति को पकड़ा गया ।

5.12 यू. के. के पास डी.एन.ए. तकनीक से संबंधित व्यापक विधिक आधार है । यू. के. में सहमति और निजता के प्रश्न पर बहस हुई और अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय माता-पिता के इच्छा के विरुद्ध रक्त परीक्षण कराने का आदेश नहीं देगा । यू. के. में प्रत्येक विधि का सार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना है । यद्यपि, ऐसे कानूनी उपबंध हैं जिसके अधीन रक्त नमूने माता-पिता की सहमति के बिना भी लिए जा सकते हैं, उदाहरणार्थ एच.आई.वी. जैसे रोगों का परीक्षण ।

5.13 वर्ष 1994 में ब्रिटिश संसद् ने आपराधिक न्याय और लोक व्यवस्था अधिनियम पारित किया जिसमें रा-ट्रीय डी.एन.ए. डाटाबेस (एन.डी.एन.ए.डी.) के विधिक आधार का उपबंध है । अधिनियम पुलिस को ऐसे किसी अपराध जो 'अभिलेखीय' के रूप में वर्गीकृत है, के आरोपी किसी व्यक्ति से सहमति के बिना डी.एन.ए. नमूना लेने और मिलान रूपरेखा के लिए सूक्ष्मतापूर्वक डाटाबेस की तलाशी करने की अनुज्ञा देता है । संसदीय अधिनियम के कारण, पुलिस को अन्वे-ण प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व गिरफ्तार व्यक्ति का डी.एन.ए. लेने की अनुज्ञा है जिससे कि प्रक्रिया में तेजी लाई जाए । गृह कार्यालय के पास इस कदम द्वारा सक्रिय अपराधी जनसंख्या का पूरा अभिलेख है जो सर्वप्रथम निर्दोष व्यक्तियों को अलग करना आसान बनाता है ।

5.14 आर. (एस. के आवेदन पर) बनाम चीफ कांस्टेबल आफ साऊथ यार्कसायर⁸⁰ वाले मामले में अपील न्यायालय ने अंगुलि छाप, शारीरिक नमूने, डी.एन.ए. रूपरेखा और डी.एन.ए. नमूने

⁸⁰ (2003) 1 ऑल ई.आर. 148.

के संरक्षण को आबद्ध बनाने के विधान को कायम रखा । यह दलील दी गई कि संशोधित उपबंध मानव अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 8 और 14 से असंगत है जो निजता के संरक्षण के बारे में है और इस प्रकार यह अनुरोध किया गया कि संबद्ध पक्षकारों के अंगुलि छाप और डी.एन.ए. नमूनों को न-ट किया जाए । उक्त मामले में अंगुलि छाप और डी.एन.ए. नमूनों के 'लेने', 'प्रतिधारण' और 'उपयोग' के बीच अंतर किया गया । संदिग्ध व्यक्ति से लिए गए भौतिक नमूनों के प्रतिधारण का कानूनी आधार पुलिस और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम, 1984 की नई धारा 64(1क) के अतिरिक्त था जिसमें यह उपबंध है कि इन नमूनों का उपयोग केवल अपराध के निवारण या पता लगाने, अपराध के अन्वेषण या अभियोजन के संचालन से संबंधित प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

जहां तक अपराध के निवारण या पता लगाने का संबंध है, यह स्पष्ट है कि पुलिस को उपलब्ध अंगुलि छाप और डी.एन.ए. नमूनों के अधिकांश डाटा बैंक, डाटा बैंक का अधिक उपयोग अपराध के निवारण और अपराध के लिए उत्तरदायी लोगों का पता लगाने के लिए होगा । इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जनता के प्रत्येक सदस्य से अंगुलि छाप और डी.एन.ए. नमूने उपलब्ध कराने की अपेक्षा है । क्योंकि यह अपराध के निवारण और पता लगाने में काफी योगदान प्रदान करेगा । हम एक ऐसा उदाहरण देते हैं, बलात्कारियों की बहुलता जिनकी जानकारी पहले से उनके पीड़ितों को नहीं है, पहचान किए जाने के लिए उपलब्ध होगी । तथापि, 1984 के अधिनियम में अंगुलि छाप या नमूने के लेने, प्रतिधारण या उपयोग के संबंध में संपूर्ण उपबंध नहीं है क्योंकि संसद् में संतुलित दृष्टिकोण का विनिश्चय किया है ।

5.15 **सांडरस बनाम यूनाइटेड किंगडम⁸¹** वाले मामले में न्यायालय ने पहचान और स्वअभिसंधान के बीच अंतर को स्पष्ट किया जब यह डी.एन.ए. नमूने आदि के संग्रहण के संबंध में उसके समक्ष आया और यह मत व्यक्त किया कि -

“स्वयं को न फंसाने का अधिकार प्राथमिक विनय है । तथापि, अभियुक्त व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करते हुए वह मौन रह सकता है । सामान्य तौर पर कन्वेंशन और अन्यत्र संविदा करने वाले पक्षकारों की विधिक व्यवस्था में यह ऐसी सामग्री की आपराधिक कार्यवाहियों में उपयोग का विस्तार नहीं करता जिसे अनिवार्य शक्तियों का उपयोग कर अभियुक्त से अभिप्राप्त किया गया हो । किंतु जो संदिग्ध की इच्छा स्वतंत्र अस्तित्व पर निर्भर है जैसेकि, अन्य बातों के साथ-साथ, वारंट के अनुसरण में उपार्जित दस्तावेज, श्वास, रक्त और पेशाब नमूने और डी.एन.ए. परीक्षण के प्रयोजन के लिए शारीरिक उत्तक ।”

5.16 **एस. और मार्पर बनाम यूनाइटेड किंगडम⁸²** वाले मामले में निजता के अधिकार को कायम रखा और यह कहा कि डी.एन.ए. नमूनों का प्रतिधारण निजता के प्रति सारवान खतरा है ।

च. स्कॉटलैंड

5.17 साक्ष्यीय, विधि शास्त्रीय और प्रक्रियागत विनयों पर दंड प्रक्रिया (स्कॉटलैंड) अधिनियम,

⁸¹ (1997) 23 ई.एच.आर.आर. 313.

⁸² (2008) ई.सी.एच.आर. 1581.

1995 में निम्नलिखित के लिए संशोधन की अपेक्षा है :-

- अंगुलि छाप और समरूप आंकड़ों से संबंधित कतिपय साक्षों को चुनौती देने की अनुज्ञा देता है जहां यह प्रमाण-प्रत्र प्ररूप में अंतर्वि-ट है ;
- वरिष्ठ अधिकारी से अधिक प्रमाणन के बिना कांस्टेबल द्वारा स्वेबिंग द्वारा डी.एन.ए नमूना लेने की अनुज्ञा देता है ;
- नमूना देने वाले व्यक्ति की सहमति से और स्वैच्छया डी.एन.ए. और अंगुलि छाप के प्रतिधारण की पुलिस को अनुज्ञा देता है ;

5.18 दंड प्रक्रिया (स्कॉटलैंड) अधिनियम, 1995 की धारा 55 को पुलिस कांस्टेबल द्वारा मुख स्वैब को बल का प्रयोग किए बिना डी.एन.ए. नमूने लेने की अनिवार्य शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व निरीक्षक से प्राधिकार अभिप्राप्त करने की अपेक्षा को हटाने के लिए संशोधित किया गया । इसे 1995 के अधिनियम की संशोधनकारी धारा 18, 19, 19क और 19ख द्वारा प्राप्त किया गया जिसमें विश्लेषण प्रयोजनों के लिए डी.एन.ए. के नमूनों को अभिप्राप्त करने की कानूनी शक्तियां अंतर्वि-ट हैं । धारा 18 वहां लागू होती है जहां व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में है या 1995 अधिनियम की धारा 14 के अधीन निरुद्ध किया गया है । धारा 19 और 19क वहां लागू होते हैं जहां व्यक्ति को अपराध से दो-सिद्ध किया गया है, यद्यपि धारा 19क केवल उपधारा (6) में यथा परिभाषित लैंगिक या हिंस अपराध के दो-सिद्ध अपराधियों को ही समावि-ट करता है । धारा 19ख में ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख है जहां कांस्टेबल नमूने अभिप्राप्त करते समय युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है ।

5.19 कानूनी उपबंध पुलिस को अपराध या अपराधों के अन्वेषण में सहमति से ऐसे नमूने या छाप के उपयोग की अनुज्ञा देता है । यह वर्तमान व्यवहार में कानूनी उपाय प्रदान करता है जहां पुलिस सहमति से नमूने या छाप लेता है और अपराध स्थल से साक्ष्य के विरुद्ध उनकी जांच करता है । उदाहरणार्थ भौगोलिक क्षेत्र में सामूहिक डी.एन.ए. स्क्रिनिंग । यह कतिपय परिस्थितियों में पश्चात्वर्ती अन्वेषणों में उपयोग के लिए नमूनों और छापों को प्रतिधारित करने का प्राधिकार भी पुलिस को प्रदान करता है जबकि इस समय उन्हें ऐसे अन्वेषण की समाप्ति पर जिनके संबंध में वे अभिप्राप्त किए गए थे, न-ट किया जाना है ।

छ. त्रिनिदाद और टोबैगो

5.20 त्रिनिदाद और टोबैगो ने साक्ष्य के रूप में डी.एन.ए. रिपोर्ट को सम्मिलित करने, डी.एन.ए. न्यायालय विश्लेषण का उपबंध करने और माता-पिता के अवधारण के लिए डी.एन.ए. परीक्षण का उपयोग करने और अन्य संबद्ध वि-यों के लिए डीओक्सेबोनोक्लेयिक एसिड (डी.एन.ए.) पहचान अधिनियम, 2000 पारित किया । इसमें सहमति द्वारा डी.एन.ए. नमूने अभिप्राप्त करने का उपबंध है किंतु न्यायालय आदेश द्वारा उक्त नमूने अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया का भी अधिकथन है। इसके अधीन एक ऐसा भी उपबंध है जहां बालक या असक्षम व्यक्ति को अपराध के लिए निरुद्ध, गिरफ्तार या आरोपित किया जाता है वहां उक्त नमूने उस बालक या उस अक्षम व्यक्ति से न्यायालय के आदेश के सिवाए नहीं लिए जाएंगे क्योंकि वे असली सहमति देने के योग्य नहीं हो सकते ।

ज. अन्य देश

5.21 हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस और आस्ट्रिया जैसे देशों में केवल ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कतिपय गंभीर अपराध किए हैं, डी.एन.ए. रूपरेखा में सम्मिलित किए गए हैं।⁸³

5.22 एन्ड्रू डी. थिबेडियू, जे.डी., उत्तरदायी आनुवंशिकी परिषद् के तत्वावधान में वरिष्ठ फेलो द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय डी.एन.ए. डाटाबेस, 2011'⁸⁴ के कार्यपालिक संक्षिप्तांश के सुसंगत भाग में डी.एन.ए. रूपरेखा से संबंधित जिसके अंतर्गत हटाने के मापदंड और नमूना प्रतिधारण संबंधित कई देशों के विवरण हैं, को इस रिपोर्ट के उपाबंध -1 के रूप में उपाध्य किया गया है।

⁸³ सचिन्द्र पी. एम., यूरोप में अपराधी पहचान के लिए डीएनए डाटाबेस - तकनीकी, विधिक और राजनैतिक सामंजस्य की आवश्यकता, मानव पहचान पर द्वितीय यूरोपीयन संगो-ठी की कार्यवाही, मेंडिसन, डब्ल्यू 1 यू.एस.ए. ; प्रोमेगा कारपोरेशन, 1998.

⁸⁴ www.antonioacasella.eu/dnlaw/DNA-data2011.pdf पर उपलब्ध, (13 जुलाई, 2017 को अंतिम बार देखा गया)

अध्याय 6

मानव डी.एन.ए. रूपरेखा विधेयक, 2016 और अन्य रिपोर्टें

क. मानव डी.एन.ए. रूपरेखा विधेयक, 2016

6.1 2016 विधेयक का प्रारूपण जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया और भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। विधेयक रा-द्रीय डी.एन.ए. डाटा बैंक और डी.एन.ए. रूपरेखा बोर्ड के गठन और विधेयक में विनिर्दि-ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए डाटा का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित डी.एन.ए. रूपरेखा बोर्ड आणविक जीव विज्ञान, मानव आनुवंशिकी, जनसंख्या जीव विज्ञान, जैव नैतिकता, समाज विज्ञान, विधि और आपराधिक न्याय विशेषज्ञों से मिलकर बनेगा। बोर्ड को डी.एन.ए. रूपरेखा के मानक और नियंत्रण पर परिभाषित करना है। उसे प्रयोगशालाओं को भी प्रमाणित करना और विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा भंडारित आंकड़ों तक पहुंच का प्रबंध करना भी है। राज्य स्तरों पर भी इसी तरह के निकाय गठित किए जाएंगे।

6.2 रा-द्रीय डी.एन.ए. डाटा बैंक से अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों, गायब व्यक्तियों, पहचान रहित मृत शवों और स्वैच्छिक टिप्पणियों से आंकड़े एकत्र करने की परिकल्पना है। यह मानव वध, लैंगिक हमला, जारकर्म और अन्य अपराधों जैसे आपराधिक मामलों में डी.एन.ए. डाटा प्रोफाइल की रूपरेखा तैयार करना और भंडार करना है। आंकड़ा अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को भी अपराध में उसके अलिप्त होने को साबित करने के लिए या कम से कम यह स्थापित करने के लिए उपलब्ध होगा कि वह सुसंगत समय पर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

6.3 विधेयक की अनेकों संगठनों और इसी आधार पर सार्वजनिक रुचि वाले व्यक्तियों द्वारा निजता की चिंता न जताने के लिए आलोचना की गई और कानूनी प्राधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन दिए गए। विधेयक बोर्ड के निधिकरण और कैसे अपेक्षित निधियां नमूनों के उचित रिपोर्ट के संग्रहण के लिए अन्वे-णकारी अभिकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा, की बाबत कोई विशेष-उपबंध नहीं करता। तथापि, विधेयक विनिर्दि-टतः यह उपबंध नहीं करता कि किस प्रक्रम पर नमूने संगृहीत की जाएं।

ख. ए. पी. शाह समिति की रिपोर्ट⁸⁵

6.4 अक्टूबर, 2012 में माननीय न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह की अध्यक्षता वाली विशेष-ज्ञ समिति ने यह सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अवैध संग्रहण को रोकने और डी.एन.ए. आंकड़े के उपयोग के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए और इसके अतिरिक्त इसके दुरुपयोग से प्रस्तावित निकाय को रोकने के लिए सुरक्षोपाय का उपबंध होना चाहिए। ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसका उपयोग कर नागरिक आंकड़े के प्रतिधारण के विरुद्ध अपील कर सकें। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि ऐसा भी अपील का तंत्र होना चाहिए जिसके अधीन विचाराधीन नागरिक नये सिरे से नमूने लिए जाने का अनुरोध कर सकें। पीड़ितों और संदिग्ध व्यक्तियों की दशा में सहमति के पश्चात् नमूने लिए जाएं।

⁸⁵ “निजता पर विशेष-ज्ञों के समूह की रिपोर्ट” (अध्यक्षता न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई), 16 अक्टूबर, 2012 को योजना आयोग को प्रस्तुत।

6.5 समिति ने यह उल्लेख किया कि यद्यपि विधेयक स्वैच्छिक व्यक्तियों को नमूने देने की अनुज्ञा देता है फिर भी सहमति अभिप्राप्त करने की कोई उचित प्रक्रिया नहीं है और ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके अधीन स्वैच्छिक व्यक्ति अपने आंकड़े वापस ले सकें। तीसरे पक्षकार को डाटा देने के पूर्व, व्यक्ति को सूचित किया जाए और सहमति मांगी जाए यदि तीसरा पक्षकार प्राधिकृत अभिकरण नहीं है। ऐसा प्रयोजन जिसके लिए आंकड़ा एकत्र किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से बताया जाए और प्रयोजन पूरा होने के पश्चात् तथा समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् आंकड़े को न-ट किया जाए। रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि डी.एन.ए. आंकड़ा का संग्रहण करने वाली, विश्लेषण करने वाली और भंडार करने वाली निकायों को वार्षिक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए जिसमें उनकी पद्धतियों और संगठनात्मक ढांचे का उल्लेख हो। ये विचार किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के बारे में चिंता को कम करते हैं जब डी.एन.ए. डाटाबेस सृजित किया जाता है।

ग.मलिमथ समिति की रिपोर्ट⁸⁶

6.6 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293(4) संहिता के अधीन वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची बनाता है। समिति ने यह सिफारिश की कि डी.एन.ए. विशेषज्ञों को खंड (छ) के अधीन विशेषज्ञों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

6.7 इसने सभी स्तरों के दंड न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी बनाने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यथा उपबंधित अनन्यतः भिन्नतः उच्च न्यायालय के लिए न्याय के प्रयोजनों को पूरा करने या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए समुचित आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने की सिफारिश करते हैं।

6.8 समिति ने आंतकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 27 की तरह कैदी पहचान अधिनियम, 1920 की धारा 4 का संशोधन करने की भी सिफारिश की जो न्यायालय को निम्नलिखित को लिखित रूप में देने के लिए अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति को निदेश देने की शक्ति प्रदान करती है :-

(1) यथास्थिति, चिकित्सा व्यवसायी या अन्यथा के माध्यम से पुलिस अधिकारी को हस्तलेख, अंगुलि छाप, पाद छाप, चित्र, रक्त, लार, बाल, पुलिस अधिकारी की ध्वनि के नमूने।

(2) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति उपधारा (1) में यथा-उपबंधित नमूने देने से इनकार करता है तो न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल नि-कर्न निकालेगा।

⁸⁶ आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार पर मलिमत समिति रिपोर्ट, 2003 .

अध्याय 7

नि-क-र्-न

7.1 उचित और सुस्थापित वैज्ञानिक तकनीक डी.एन.ए. रूपरेखा का उपयोग आपदा पीड़ित पहचान, अपराध के अन्वेषण, लापता व्यक्तियों और मानव अवशेषों की पहचान और चिकित्सा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

7.2 अधिकांश देशों ने पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए अपने संबद्ध संविधानों और अन्य विधिक अवसंरचनाओं के भीतर समुचित विधियां अधिनियमित की हैं ।

7.3 डी.एन.ए. रूपरेखा और उसके उपयोग में विभिन्न विधिक और नीतिपरक मुद्दे अंतर्वि-ट हैं और चिंताएं व्यक्त की गई हैं तथा इसके दुरुपयोग के बारे में आम लोगों के मस्ति-क में आशंकाएं विद्यमान हैं जिनका यदि संरक्षण नहीं किया जाता तो व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटन हो सकता है जैसे प्रतिकूल हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित डाटा का दुरुपयोग होना संभव है जो व्यक्ति कि निजता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ।

7.4 क्या भारतीय संदर्भ में निजता संविधान के अनुच्छेद 30 का अभिन्न भाग है, शैक्षिक बहस का वि-य है । यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के वृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष विचारार्थ लंबित है ।

7.5 2017 के विधेयक में निजता के अधिकार का संरक्षण करने के आशय से उपबंध विहित हैं । उपबंधित तंत्र 13 कोडिस लोसी के लिए ही डी.एन.ए. नमूनों के प्रसंस्करण की अनुज्ञा देते हैं जो किसी व्यक्ति के निजता का किसी तरह अतिक्रमण नहीं करता और परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की पहचान से परे कभी नहीं जाएगा । 13 कोडिस लोसी का कठोर अनुपालन आनुवंशिकी लक्षण के प्रकटन की आशंका को दूर करेगा ।

7.6 दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 जो 23 जून, 2006 को प्रवृत्त हुआ, द्वारा चिकित्सा परीक्षा विशेषकर शारीरिक तत्वों के उत्कर्षण की बाबत व्याप्ति को स्प-ट करने के लिए धारा 53, 53क और 54 में स्प-टीकरण जोड़ा गया और स्प-टीकरण में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा में डी.एन.ए. रूपरेखा सहित वैज्ञानिक तकनीक द्वारा रक्त, रक्त दाग, वीर्य, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वैब, थूक, पसीना, बाल नमूने और अंगुलि नाखून क्लिपिंग और ऐसे अन्य परीक्षण सम्मिलित हैं जिसे चिकित्सा व्यवसायी ठीक समझता हो ।

7.7 इस प्रकार, 2017 का विधेयक पूर्वोक्त उपबंधों से संगत और अनुरूप है जिसे 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और जो डी.एन.ए. रूपरेखा का भी उपबंध करता है ।

अध्याय 8

सिफारिशें

8.1 “सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों, लापता व्यक्तियों और मानव अवशेषों की पहचान में डी.एन.ए. आधारित तकनीक का उपयोग और विनियमन विधेयक, 2016” का प्रारूप जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत के विधि आयोग को अग्रेषित किया गया था, की आयोग द्वारा गहनतापूर्वक परीक्षा की गई। आयोग ने डी.एन.ए. रूपरेखा, डी.एन.ए. नमूने और शारीरिक तत्वों के उपयोग, प्रतिधारण और निकालने के समुचित नियामक तंत्र के अभाव में डी.एन.ए. रूपरेखा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। प्रारूप विधेयक को सारतः उपांतरित किया गया है और “डी.एन.ए. आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017” शीर्षक का नया प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ उपाबंध 2 के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

8.2 सिफारिशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-

(क) डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग बोर्ड - एक कानूनी निकाय : एक डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग बोर्ड गठित किया जाएगा जो डी.एन.ए. प्रयोगशाला स्थापित करने और ऐसे प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन मंजूर करने और डी.एन.ए. प्रयोगशालाओं से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को सूचित करने की प्रक्रिया और मानक अधिकथित करने जैसे कृत्य करेगा। बोर्ड प्रयोगशालाओं का पर्यवेक्षण, मानीटरिंग, निरीक्षण और निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी होगा। बोर्ड पुलिस और डी.एन.ए. संबंधी विनयों में कार्यरत अन्य अन्वेषणकारी अभिकरणों के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत घोषित करेगा। अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप डी.एन.ए. परीक्षण से संबंधित सभी नैतिक और मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना बोर्ड का अन्य कृत्य होगा। यह डी.एन.ए. परीक्षण और संबंधित मुद्दों आदि में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों की सिफारिश करेगा।

(ख) डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग का अनन्यतः उपयोग व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाएगा और कोई अन्य जानकारी निकालने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) डी.एन.ए. डाटाबैंक : केंद्रीय सरकार द्वारा एक रा-ष्ट्रीय डी.एन.ए. डाटाबैंक और राज्यों द्वारा क्षेत्रीय डी.एन.ए. डाटा बैंक स्थापित किया जाएगा। डाटा बैंक प्रत्यायित प्रयोगशालाओं से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाइल को भंडारित करने और अपराध स्थल सूची, संदिग्ध सूची, अपराधी सूची, लापता व्यक्ति सूची और अज्ञात मृतक सूची जैसे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की कतिपय सूची बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

(घ) लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों को सहायता देने की दृष्टि से, उसके शारीरिक नमूनों/पदार्थों के आधार पर लापता व्यक्तियों की उचित पहचान के लिए उपबंध किए गए हैं।

(ङ) बोर्ड द्वारा डी.एन.ए. प्रोफाइल की प्रवि-टि, प्रतिधारण और निकालने के लिए समुचित विनियम अधिसूचित किए जाएंगे।

(च) डी.एन.ए. प्रोफाइल के अभिलेख के अनुरक्षण और उनके उपयोग की बाबत कठोर गोपनीयता बरती जाए।

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विदेशी सरकार या सरकारी संगठन या सरकारी संस्थाएं या इसके किसी अधिकरण के साथ और उसके द्वारा डी.एन.ए. प्रोफाइल का लेनदेन ।

(ज) उपबंधों के उल्लंघनकर्ता कारावास जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा के दंड का दायी होगा ।

(झ) विचाराधीन व्यक्ति दूसरे डी.एन.ए. परीक्षण के लिए विचारण न्यायालय से अनुरोध कर सकेंगे यदि वह न्यायालय को संतु-ट करता है कि पूर्व डी.एन.ए. नमूना/शारीरिक पदार्थ अपद्वूनीत हो गए थे अतः इनका अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

(ञ) डी.एन.ए. विशेषज्ञों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में विनिर्दि-ट किया जा सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन इस प्रकार अधिसूचित किया जाएगा ।

8.3 प्रारूप विधेयक डी.एन.ए. प्रयोगशाला जो कठोर मानक, गुणता नियंत्रण और गुणता आश्वासन पालन करने की कानूनी बाध्यता के अधीन होगा, मानव डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है । यह डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग में लगे सभी प्रयोगशालाओं में अपनाई जाने वाली एक समान पद्धतियों को स्थिर करने का संवर्धन करेगा । प्रस्तावित विधान देश में डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग क्रियाकलापों के वैज्ञानिक उन्नयन और सरल तथा कारगर बनाने का भी संवर्धन करेगा । आयोग ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया है कि प्रारूप विधेयक के उपबंध संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप हों ।

आयोग तदनुसार सिफारिश करता है ।

ह0/-

(न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान)

अध्यक्ष

ह0/-

(न्यायमूर्ति रवि आर. त्रिपाठी)

सदस्य

ह0/-

(प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार)

सदस्य

ह0/-

(डा. संजय सिंह)

सदस्य-सचिव

ह0/-

(सुरेश चंद्रा)

पदेन-सदस्य

ह0/-

(डा. जी. नारायण राजू)

पदेन सदस्य

“रा-ट्रीय डी.एन.ए. डाटाबेस 2011” के सुसंगत भाग

देश	प्रवि-टि मापदंड	अपनयन मापदंड	नमूना प्रतिधारण
आस्ट्रिया	गंभीर अपराधों से दो-सिद्ध व्यक्ति, संदिग्ध आरोपी और सभी अपराध दृश्य चिह्न	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल अनिश्चितकाल तक प्रतिधारित किए जाते हैं, दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल दो-मुक्ति पर हटाए जाते हैं (किंतु लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के पश्चात् ही) और अपराध घटनाओं से कलंकित के प्रोफाइल मामलों के समाधान होने तक रखे जाते हैं	दो-सिद्ध व्यक्तियों के नमूने न-ट किए जाते हैं जब व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष हो जाती है, संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने संदिग्ध के दो-मुक्ति के बावजूद भी प्रतिधारित किए जाते हैं (न-ट करने के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया जाए)
बेल्जियम	‘गंभीर अपराध’ के दो-सिद्ध व्यक्ति और अपराध दृश्य चिह्न जब अभियोजक द्वारा आदेश दिया जाए।	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनकी मृत्यु के पश्चात् 10 वर्ष तक रखे जाते हैं और अपराध कलंकित को तब हटाया जाता है जब आगे उपयोगी नहीं समझा जाता (लोक अभियोजन कार्यालय का आदेश आवश्यक है)	डी.एन.ए. प्रोफाइल सृजित करने के पश्चात् दो-सिद्ध व्यक्तियों के नमूने न-ट किए जाएं, संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल तब न-ट किया जाए जब अभियोजक का यह अवधारण हो जाए कि स्वतंत्र डी.एन.ए. विश्लेषण का संदिग्ध व्यक्ति का अनुरोध मंजूर नहीं किया जाएगा या जब ऐसे अनुरोध का परिणाम संदिग्ध को संसूचित किया गया हो।
बुलगारिया	पूर्व नियोजित अभ्यारोप्य अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति।	रा-ट्रीय सुरक्षा या अपराध निवारण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिगत आंकड़े के संबंध में इसे मिटाया जाए, यदि अधिनियम के अधीन या कार्यक्रम के अनुसरण उन्हें बनाए रखने का कोई कारण नहीं है। यह	

		<p>अवधारित करने के लिए कि क्या डी.एन.ए. प्रोफाइल सहित उक्त व्यक्तिगत डाटा को मिटाया जाए, आंतरिक मंत्रालय को व्यक्ति की आयु, सूचना की आवश्यकता, चालू अन्वेषण या विधिक प्रक्रिया का समापन, क्या व्यक्ति को दो-सिद्ध किया गया है, आम माफी की हैसियत, पुनर्वास की विवक्षा या विधि द्वारा उपबंधित अवधि की समाप्ति पर विचार करना चाहिए । अपराध निवारण प्रयोजनों के लिए ही रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिगत डाटा के संबंध में इसे डाटा आयुक्त के लिखित आदेश पर या प्रश्नगत व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर हटाया जाना चाहिए यदि यह विधि विरुद्धतः दर्ज किया गया था, आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए, प्रश्नगत व्यक्ति को सभी आरोपों से दो-मुक्त किया जाए, प्रश्नगत व्यक्ति को अक्षमता के सिवाए या व्यक्ति की मृत्यु पर इसे हटाया जाए ।</p>	
<p>चीन (हांगकांग)</p>	<p>किसी 'गंभीर गिरफ्तारयोग्य अपराध' और सभी अपराध दृश्य चिह्न का दो-सिद्ध व्यक्ति</p>	<p>दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल को अनिश्चितकाल तक रखा जाए जब तक उनकी दो-सिद्धि ऐसी अपील जिसमें उन्हें डाटाबेस से हटाया गया है, में तत्पश्चात् अभिखंडित न किया गया हो ।</p>	<p>दो-सिद्ध व्यक्तियों के नमूनों को यावतसाध्य शीघ्र न-ट किया जाए जब ऐसे अपराध के संबंध में व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आरोप न हो जो नमूने को रखना आवश्यक बनाता हो और दो-सिद्धि से उद्भूत सभी कार्यवाहियां (किसी अपील सहित) समाप्त हो गई हैं ; संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों को यावतसाध्य नमूने लिए</p>

			जाने के पश्चात् 12 महीनों के पश्चात् न-ट किया जाए यदि उन्हें किसी अपराध से आरोपित नहीं किया गया है या यदि इस प्रकार आरोपित किया गया है तो सभी आरोप वापस ले लिए गए हैं, व्यक्ति को अपराध या सभी अपराधों की दो-सिद्धि से पूर्व न्यायालय द्वारा उन्मोचित कर दिया गया है या उन्हें सभी आरोपों से दो-मुक्त कर दिया गया है ।
क्रोशिया	ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पहचान आपराधिक अन्वेषण के अनुक्रम में प्रश्नगत है और सभी अपराध दृश्य चिह्न	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल आपराधिक कार्यवाही के पूरा होने के पश्चात् 20 वर्ष तक रखा जाएगा ।	
साइप्रस	सभी दो-सिद्ध व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति और अपराध दृश्य चिह्न	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल हटाए जाएं जब उनके अभिलेख स्प-ट हैं, संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल हटाए जाएं जब कोई दो-मुक्त हों या अन्यथा सभी अपराधों से मुक्त हों और अपराध स्थल चिह्नों को तब तक रखा जाए जब तक उनकी पहचान न हो ।	सभी नमूनों का डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार किया जाए
चेक रिपब्लिक	सभी दो-सिद्ध व्यक्ति और अपराध दृश्य चिह्न	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनके प्रवि-टि के पश्चात् 80 वर्षों तक रखे जाते हैं और अपराध दृश्य चिह्न उनकी पहचान तक रखे जाते हैं ।	सभी नमूनों का डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार किया जाए

डेनमार्क	दो-नसिद्ध व्यक्ति, ऐसे अपराध के आरोपी संदिग्ध जिनका कारावास डेढ़ वर्ष या अधिक के दंडादेश से हो सकता है और सभी अपराध स्थल चिह्न	दो-नसिद्ध व्यक्तियों और संदिग्धों के प्रोफाइल उनकी मृत्यु के पश्चात् या उनके 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् दो वर्ष तक रखे जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न दानिश शास्ति अधिनियम द्वारा अवधारित मामले की 'विहित अवधि तक' प्रतिधारित किए जाते हैं ।	सभी नमूनों का डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार किया जाए
इस्टोनिया	किसी अभिलेख योग्य अपराध से दो-नसिद्ध या गिरफ्तार व्यक्ति और सभी अपराध स्थल चिह्न	दो-नसिद्ध और संदिग्धों के प्रोफाइल उनकी मृत्यु के पश्चात् दो वर्ष तक रखे जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न की प्रविटि के पश्चात् 75 वर्ष तक रखे जाते हैं ।	सभी नमूने अनिश्चितकाल तक प्रतिधारित किए जाते हैं ।
फिन्लैंड	तीन वर्ष या अधिक के दंडादेश से कारागार भुगत रहे दो-नसिद्ध व्यक्ति, अपराध के आरोपी संदिग्ध जिन्हें छह माह से अधिक का कारावास हो सकता है और सभी अपराध स्थल चिह्न	दो-नसिद्ध व्यक्तियों की प्रोफाइल दो-नसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् 10 वर्ष तक रखे जाते हैं, दो-नसिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल अभियोजनात्मक अवधारण कि अपराध का कोई साक्ष्य नहीं है, आरोप खारिज किए जाते हैं जब उनके दंडादेश अकृत्य किए गए हैं, एक वर्ष के भीतर हटाए जाते हैं या संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् दस वर्ष यदि पहले न हटाए गए हों, अपराध स्थल चिह्न को अनिश्चितकाल तक रखा जाता है	दो-नसिद्ध व्यक्तियों की प्रोफाइल दो-नसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् 10 वर्ष तक रखे जाते हैं, दो-नसिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल अभियोजनात्मक अवधारण कि अपराध का कोई साक्ष्य नहीं है, आरोप खारिज किए जाते हैं जब उनके दंडादेश अकृत्य किए गए हैं, एक वर्ष के भीतर हटाए जाते हैं या संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् दस वर्ष यदि पहले न हटाए गए हों
फ्रांस	किसी गंभीर अपराध (विधि में सूचीबद्ध) के दो-नसिद्ध या आरोपी व्यक्ति और अपराध स्थल चिह्न जब सुसंगत	दो-नसिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनके 80वें जन्मदिन पर दो-नसिद्ध के पश्चात् 40 पुस्तक रखे जाते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल अभियोजक या व्यक्ति के संकल्प पर इस आधार पर हटाए जाते हैं कि उनका	दो-नसिद्ध व्यक्तियों के नमूने उनकी दो-नसिद्ध के पश्चात् चालीस वर्ष तक या उनके 80वें जन्मदिन तक प्रतिधारित किए जाते हैं ; संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने दो-नसिद्ध या दो-नमुक्ति तक

	समझा जाए ।	भंडारण अब अपना मूल प्रयोजन पूरा नहीं करता और अपराध स्थल चिह्न उनके विश्लेषण किए जाने के पश्चात् चालीस वर्ष के पश्चात् हटाए जाते हैं ।	रखे जाते हैं अर्थात् प्रक्रिया नुसार डी.एन.ए. नमूनों को नियमित साक्ष्य माना जाता है ।
जर्मनी	गंभीर अपराध या बारबार वही लघु अपराध करने वाले दो-सिद्ध व्यक्ति, गंभीर अपराध के आरोपी संदिग्ध व्यक्ति और अपराध स्थल चिह्न जब किसी अभिलेख योग्य अपराध के संबंध में हो ।	दो-सिद्ध व्यक्ति और संदिग्ध व्यक्तियों की प्रोफाइल तब हटाए जाते हैं जब उनका प्रतिधारण आवश्यक नहीं रह जाता और अपराध स्थल चिह्न उनकी प्रविष्टि के तीस वर्ष के पश्चात् हटाए जाते हैं ।	दो-सिद्ध व्यक्ति और संदिग्धों के नमूने तब न-ट किए जाएं जब उनका प्रयोग अन्वेषक प्रयोजनों के लिए उपयोगी नहीं समझा जाता ।
हंगरी	विधि में सूचीबद्ध प्रवर्गीकृत अपराधों में से एक का दो-सिद्ध व्यक्ति, ऐसे अपराध का आरोपी संदिग्ध व्यक्ति जिसका दंडादेश पांच वर्ष या अधिक का कारावास हो सकता है या जो विधि में सूचीबद्ध है और सभी अपराध स्थल चिह्न ।	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल दो-सिद्धि के पश्चात् बीस वर्ष तक रखे जाते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल कार्यवाहियों के त्यक्त किए जाने तक या व्यक्ति के दो-मुक्ति तक प्रतिधारित किए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न विधि द्वारा विहित समय पर हटाए जाते हैं ।	दो-सिद्ध व्यक्तियों के नमूने उनकी दो-सिद्धि के पश्चात् बीस वर्ष तक न-ट किए जाएं और संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने अन्वेषण या कार्यवाही के दो-मुक्ति या त्यक्त किए जाने पर न-ट किया जाए ।
लताविया	किसी अभिलेख योग्य अपराध का दो-सिद्ध या संदिग्ध और सभी अपराध स्थल	दो-सिद्ध व्यक्ति और संदिग्ध व्यक्तियों की प्रोफाइल उनकी प्रविष्टि के पश्चात् 75 वर्षों तक प्रतिधारित किए जाते हैं और अपराध स्थल नमूने उनके	सभी नमूने 75 वर्ष तक रखे जाते हैं ।

	चिह्न	पहचान तक रखे जाते हैं ।	
लिथुआनिया	सभी दो-सिद्ध व्यक्ति संदिग्ध और अपराध स्थल चिह्न	दो-सिद्ध व्यक्ति और संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनकी प्रवि-टि के पश्चात् एक सौ वर्न तक और उनकी मृत्यु के पश्चात् दस वर्न तक प्रतिधारित किए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न अनिश्चितकाल तक रखे जाते हैं	सभी नमूनों को उनके विश्ले-ण किए जाने के पश्चात् और उनसे डी.एन.ए. प्रोफाइल व्युत्पन्न होने पर न-ट किया जाए ।
लेगजमवर्ग	ऐसे अपराध का दो-सिद्ध व्यक्ति जो विधि में सूचीबद्ध है (सालिसिटर या जांच कर रहे मजिस्ट्रेट का आदेश अपेक्षित है), किसी अभिलेखयोग्य अपराध का संदिग्ध व्यक्ति (सॉलिसिटर या जांच कर रहे मजिस्ट्रेट का आदेश अपेक्षित है) और अपराध स्थल चिह्न केवल सालिसिटर जांच कर रहे मजिस्ट्रेट या इन मजिस्ट्रेटों में से एक के आदेश द्वारा कार्य कर रहे न्यायिक पुलिस अधिकारी के आदेश द्वारा ।	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनकी मृत्यु के पश्चात् दस वर्न तक रखे जाते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनके दो-मुक्ति या उनके मृत्यु के पश्चात् दस वर्न तक हटाए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न उनकी प्रवि-टि के पश्चात् तीस वर्न तक प्रतिधारित किए जाते हैं।	दो-सिद्ध व्यक्तियों के नमूने उनकी मृत्यु के पश्चात् दस वर्न तक न-ट किए जाते हैं; संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने दो-मुक्ति पर, उनकी मृत्यु के पश्चात् दस वर्न तक या विधि द्वारा विहित अवधि की समाप्ति पर न-ट किए जाते हैं ।
नीदरलैंड	किसी अभिलेखयोग्य अपराध का दो-सिद्ध या संदिग्ध व्यक्ति और सभी अपराध	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल व्यक्ति की जन्म तारीख के पश्चात् सौ वर्न तक रखे जाते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनके दो-मुक्ति पर हटाए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न उनके उपयोगी न पाए जाने पर	दो-सिद्ध व्यक्तियों के नमूने अनिश्चितकाल तक प्रतिधारित किए जाते हैं ; संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने उनके दो-मुक्ति पर न-ट किए जाएं ।

	स्थल चिह्न ।	हटाए जाते हैं ।	
स्लोवाकिया	जुर्माने से भिन्न दंड का दो-नी व्यक्ति, सभी संदिग्ध यदि संभव कारावास दंडादेश अपेक्षित है और सभी अपराध स्थल चिह्न ।	दो-सिद्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल दो-सिद्ध के पश्चात् दस वर्ष तक प्रतिधारित किए जाते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल उनकी दो-मुक्ति पर हटाए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न उनके पहचान किए जाने तक रखे जाते हैं जब तक मामला सुलझ नहीं जाता या अपराध की गंभीरता के आधार पर 15 या 30 वर्ष तक ।	सभी नमूनों को 'यथासंभव शीघ्र' न-ट किया जाए ।
स्विडेन	चार वर्ष या अधिक का कारावास दंडादेश भुगत रहा व्यक्ति, ऐसे अपराध का आरोपी संदिग्ध व्यक्ति जिसके परिणामस्वरूप चार वर्ष या अधिक का कारावास दंडादेश हो सकता है (अभियोजक का अनुमोदन अपेक्षित है) और सभी अपराध स्थल चिह्न ।	दो-सिद्ध व्यक्तियों की प्रोफाइल छह वर्ष से अनधिक से दंडादि-ट व्यक्तियों के लिए उनकी प्रवि-टि के पश्चात् बीस वर्ष तक, छह वर्ष से अधिक के दंडादेश से दंडादि-ट व्यक्तियों के लिए तीस वर्ष और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् अधिकतम बीस वर्ष तक रखे जाते हैं ; संदिग्ध व्यक्तियों के प्रोफाइल दो-मुक्ति के पश्चात् हटाए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न अपराध की गंभीरता के आधार पर 12, 20 या 80 वर्ष के पश्चात् हटाए जाते हैं ।	छह वर्ष से अनधिक दंडादि-ट व्यक्तियों के लिए उनके सृजन के बीस वर्ष के पश्चात् छह वर्ष से अधिक दंडादि-ट व्यक्तियों के लिए 20 वर्ष पश्चात् या व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् अधिकतम 20 वर्ष तक न-ट किया जाए, संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने उनके दो-मुक्ति पर न-ट किए जाएं ।
यू. के.	किसी अभिलेख योग्य अपराध का दो-सिद्ध व्यक्ति, किसी अभिलेख योग्य अपराध का गिरफ्तार व्यक्ति और सभी अपराध स्थल चिह्न	दो-सिद्ध और संदिग्ध व्यक्तियों की प्रोफाइल अनिश्चितकाल तक प्रतिधारित किए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न उनके पहचान किए जाने तक रखे जाते हैं ।	सभी नमूने अनिश्चितकाल तक प्रतिधारित किए जाते हैं ।

	<p>स्कॉटलैंड के लिए: किसी अभिलेखयोग्य अपराध का दो-सिद्ध व्यक्ति, किसी अभिलेख योग्य अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति और सभी अपराध स्थल चिह्न ।</p>	<p>स्कॉटलैंड के लिए : दो-सिद्ध व्यक्तियों के लिए प्रोफाइल अनिश्चितकाल तक प्रतिधारित किए जाते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों की प्रोफाइल कार्यवाहियों के चलने तक या व्यक्ति के दो-मुक्त होने तक प्रतिधारित किए जाते हैं और अपराध स्थल चिह्न उनके पहचान किए जाने तक प्रतिधारित किए जाते हैं ।</p>	<p>स्कॉटलैंड के लिए : दो-सिद्ध व्यक्तियों के नमूने अनिश्चितकाल तक प्रतिधारित किए जाते हैं किंतु संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों को उनके दो-मुक्त होने पर या जब कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ न की जाए, न-ट किए जाएं</p>
<p>यूनाइटेड स्टेट</p>	<p>12 राज्यों में गिरफ्तार व्यक्ति के नमूने लेने को प्राधिकृत करने वाली विधियां हैं । सभी 50 राज्यों में यह अपेक्षा है कि दो-सिद्ध लिंग अपराधी डी.एन.ए. नमूने उपलब्ध कराएं ; 46 राज्यों में यह अपेक्षा है कि सभी दो-सिद्ध अपराधी डी.एन.ए. नमूने उपलब्ध कराएं, 11 राज्यों में अन्य के साथ-साथ कतिपय दु-कर्म हैं जो नमूने लेने का उपबंध करते हैं । ऐसे 22 राज्य हैं जो डाटाबेस में किशोर अपचारी से डी.एन.ए. लेना सम्मिलित करते हैं।</p>	<p>38 राज्यों में ऐसे कानून हैं जो नि-कासन मापदंड और प्रक्रिया के ब्यौरे का उल्लेख करते हैं । 33 राज्य अपराधी से प्रक्रिया आरंभ करने की अपेक्षा करते हैं ।</p>	<p>प्रतिधारण के मापदंड तत्काल हटाने से भिन्न-भिन्न हैं यदि नमूनों का उपयोग नहीं किया जाता, एक नमूने को कम से कम 35 वर्ग तक प्रतिधारित किया जाए, कतिपय विनिर्दि-ट अपराधों के लिए स्थायी प्रतिधारण का मापदंड है ।</p>

विधि बिंदु

आस्ट्रेलिया	कॉमनवेल्थ क्राइम एक्ट ऑफ 1914 (जुलाई, 2008 तक संशोधित) द क्राइम (फॉरेंसिक प्रोसेजुअर्स) एक्ट ऑफ 2000 न. 59 (एनएसडब्ल्यू) द क्रिमिनल लॉ (फॉरेंसिक प्रोसेजुअर्स) एक्ट 2007 (एस.ए.)
ऑस्ट्रिया	स्टेट पुलिस लॉ (एस.पी.जी.)
बहरीन	लॉ न. 2006 का 45 (आईडेंटिटी कार्ड लॉ) लॉ नं. 2006 का 46
बेलारूस	5 दिसंबर, 2008 की न्याय मंत्रालय आदेश सं. 471, 21 जुलाई, 2003 की न्याय मंत्रालय संकल्प सं. 20
बेल्जियम	22 मार्च, 1999 का लॉ, 4 फरवरी, 2002 की रॉयल डिक्री
बुल्गारिया	प्रस्तावना 1-73/2000 पुलिस अभिलेख का अध्यादेश आंतरिक आपराधिक प्रक्रिया मंत्री
कनाडा	1998 का डीएनए पहचान अधिनियम
चाइना (हांगकांग)	भ्र-टाचार और पुलिस बल के विरुद्ध खतरनाक ओ-धि स्वतंत्र आयोग अध्यादेश भ्र-टाचार विरोधी स्वतंत्र आयोग, अध्यादेश पुलिस बल अध्यादेश
कोलंबिया	दंड प्रक्रिया संहिता विनिश्चय सी-025, 2009 का कोलंबियन संविधान न्यायालय
क्रोशिया	पुलिस अधिनियम कारागार में पुलिस आचरण विधि पर दंड प्रक्रिया संहिता नियम
साइप्रस	पुलिस विधि
चेक रिपब्लिक	दंड प्रक्रिया अधिनियम पुलिस विधि आबद्धकारी अनुदेश सं. 88/2002 पुलिस का अध्यक्ष
डेनमार्क	केंद्रीय डीएनए प्रोफाइल रजिस्टर स्थापित करने वाली विधि
स्टोनिया	गणराज्य सरकार अधिनियम, डाटाबेस अधिनियम, पुलिस अधिनियम व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम,

	दंड प्रक्रिया संहिता रा-ट्रीय पुलिस डिक्री आयुक्त
फिनलैंड	प्रपीडक उपाय अधिनियम, पुलिस अधिनियम, पुलिस व्यक्तिगत डाटा फाइल अधिनियम
फ्रांस	दंड प्रक्रिया संहिता 17 जून, 1998 की ला सं. 98-468, 15 नवंबर, 2001 की ला सं. 2001-1062 18 मार्च, 2003 की ला सं. 2003-239 18 मई, 2000 की डिक्री सं. 2000-413 30 अप्रैल, 2002 की डिक्री सं. 2002-697 25 मई, 2004 की डिक्री सं. 2004-470 25 मई, 2004 की डिक्री सं. 2004-71 23 जून, 2009 की डिक्री सं. 2009-785, 14 मई, 2008 की विवेचना सं. 2008-113, न्याय मंत्रालय की 27 जुलाई, 2004 के परिपत्र
एफवाईआर मेसेडोनिया	विधि प्रक्रिया के नियम (strafprozessordnung) Bundeskriminalamtgesetz (संघीय अपराधिक जांच अधिकारी के लिए कार्य)
जर्मनी	आपराधिक रिकार्ड और आपराधिक रिकार्ड के प्रमाण पत्र पर 1999 का अधिनियम LXXXV
हंगरी	पुलिस डीएनए फाइल विधि, पुलिस डीएनए फाइल विनियमन
ईरान	आपराधिक प्रक्रिया विधि का 2005 में संशोधन
जमैका	डीएनए हैंडलिंग और रिकार्डिंग विनियमन, डीएनए पर पुलिस निर्देश
कुवैत	रा-ट्रीय डीएनए डाटाबेस स्थापना पर विधि
लात्विया	लिथुआनिया गणराज्य के दांडिक प्रक्रिया कोड, लिथुआनिया पुलिस गतिविधि विधि डीएनए डाटाबेस प्रबंधन पर निर्देश लिथुआनिया पुलिस के जनरल कमिशनर का आदेश
लिथुआनिया	25 अगस्त, 2006 की विधि सं. 163 में आपराधिक मामलों में डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा पहचान के लिए प्रक्रिया
लक्जेमबर्ग	2009 की डिओक्सिबोन्युक्लिक एसिड (डीएनए) पहचान अधिनियम

मोरक्को	दंड प्रक्रिया संहिता विधि अभियोग प्राधिकारी को विनियमित करना
न्यूजीलैंड	दंड प्रक्रिया अधिनियम दांडिक कार्यवाही अधिनियम में डीएनए जांच
नॉर्वे	23 नवंबर, 1998 की विधि सं. 80
पनामा	दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस अधिनियम
पोलैंड	12 फरवरी, 2008 की विधि सं. 5
पुर्तगाल	विधि सं. 76/2008, न्यायिक आनुवंशिकी डाटा की रा-ट्रीय प्रणाली की स्थापित करना (एस.एन.डी.जी.जे. बाद में)
सिंगापुर	दंड विधि (अस्थायी प्रावधान) अधिनियम दांडिक कृत्य का पंजीकरण
स्लोवाकिया	अधिनियम सं. 417/2002 - व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए विश्लेषण का उपयोग
स्लोवेनिया	पुलिस अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता
दक्षिणी अफ्रीका	दंड प्रक्रिया अधिनियम
स्पेन	दंड प्रक्रिया विधि विधि 15/1999 में व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा
स्वैडेन	न्यायिक प्रक्रिया संहिता पुलिस डाटा अधिनियम
स्विटजरलैंड	डीएनए-प्रोफाइल गेसेत्ज डीएनए-प्रोफाइल-वेरोडंग डीएनए- एनालाइसेलेबोर- वी इरोडुंग
यू.के.	पुलिस और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम (पीएसीई) आपराधिक न्याय और लोक व्यवस्था अधिनियम, आपराधिक साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम आपराधिक न्याय और पुलिस अधिनियम, आपराधिक न्याय अधिनियम, 2003 डाटा संरक्षण अधिनियम, (डीपीए) मानव अधिकार अधिनियम (एचआरए)
यूक्रेन	आंतिक कार्य मंत्रालय आपराधिक रिकार्ड सेवाओं के प्रचालन पर अनुमोदित विनियमन
यूनाइटेड स्टेट	डीएनए पहचान अधिनियम, 1994 सब के लिए न्याय अधिनियम, 2004 महिला के विरुद्ध हिंसा अधिनियम, 2005

डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017

डिआक्सीराइबोस न्यूक्लीक अम्ल (डीएनए) आधारित प्रौद्योगिकी के प्रयोग और विनियमन; रिपोर्टिंग के संग्रहण से डीएनए विश्लेषण, अभिरक्षा चिह्न के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों से विनिर्दिष्ट शारीरिक नमूने लेने ; अपराध के अन्वेषण में डीएनए प्रोफाइल के उपयोग और ऐसे प्रोफाइलों का व्यक्तियों के निर्दोष या दोषसिद्ध साबित करने का उपयोग करने का उपबंध करने ; डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड स्थापित करने और प्रशासन विनियमित करने ; पीड़ितों, अभियुक्त, संदिग्ध, विचाराधीन, लापता व्यक्तियों और अचिह्नित मानव अवशेषों के पहचान के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय डीएनए डाटा बेस के अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डाटाबेस स्थापित करने ; ऐसी शर्तों का उपबंध करने जिनके अधीन नमूनों से व्युत्पन्न डीएनए प्रोफाइल के लिए नमूने ऐसी अवधि तक प्रतिधारित किए जा सकेंगे या जिसके भीतर नष्ट किए जा सकेंगे, से संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक !

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी (उपयोग और विनियमन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) “बोर्ड” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) “शारीरिक पदार्थ” से किसी व्यक्ति के, चाहे जीवित हो या मृत, शरीर का या शरीर से निकाला गया कोई जैविक पदार्थ अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 23 के स्प-टीकरण में विनिर्दिष्ट शरीर के अंतरंग या गैर अंतरंग

संक्षिप्त
विस्तार
प्रारंभ ।
नाम,
और

नमूने भी हैं ;

(ग) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) “अपराध दृश्य इंडेक्स”से-

(i) ऐसे किसी स्थान पर, जहां कोई अपराध किया गया था या जहां किसी विनिर्दिष्ट अपराध के किए जाने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है ;

(ii) किसी अपराध के पीड़ित के या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से किसी अपराध का पीड़ित होने का संदेह है, शरीर पर या शरीर के भीतर ;

(iii) ऐसे समय पर, जब कोई अपराध किया गया था या जब किसी अपराध के किए जाने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है, पीड़ित द्वारा पहनी गई या ले जाने वाली किसी चीज पर ; या

(iv) किसी व्यक्ति के शरीर पर या उसके भीतर या किसी चीज पर या किसी अपराध के किए जाने से सहबद्ध किसी स्थान पर,

पाए जाने वाले शारीरिक पदार्थों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइलों के किसी डाटा बैंक में प्रविष्टियों की सूची के पैरा क और ख सूचीबद्ध कोई अपराध अभिप्रेत है ;

(ड) “डीएनए डाटा बैंक” से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित डीएनए डाटा बैंक अभिप्रेत है ;

(च) “डीएनए डाटा बैंक निदेशक” से धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) “डीएनए प्रयोगशाला” से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा डीएनए परीक्षण करने के लिए स्थापित कोई प्रयोगशाला या सुविधा अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन डीएनए परीक्षण करने के लिए प्रत्यायन दिया गया है ;

(ज) “डीएनए प्रोफाइल” से अनुसूची में सूचीबद्ध किसी मामले की बाबत मानव पहचान स्थापित करने के लिए संगृहीत डीएनए नमूने के विश्लेषण का परिणाम अभिप्रेत है ;

(झ) “डीएनए नमूना” से डीएनए परीक्षण करने के लिए संगृहीत किसी प्रकार के शारीरिक पदार्थ अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत ऐसे शारीरिक पदार्थों से किसी डीएनए प्रयोगशाला में प्राप्त सामग्री भी है ;

(ञ) “डीएनए परीक्षण” से डीएनए प्रोफाइल विकसित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ट) “निधि” से धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड निधि अभिप्रेत है ;

(ठ) “ज्ञात नमूना” से किसी व्यक्ति का शारीरिक पदार्थ अभिप्रेत है जिसका पहचान स्थापित हो जाता है ;

(ड) “चिकित्सा व्यवसायी” से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जो भारतीय चिकित्सा परि-नद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित कोई चिकित्सा अर्हता रखता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रवि-ट किया गया है ;

(ढ) “सदस्य” से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ण) “सदस्य-सचिव” से बोर्ड का कोई सदस्य-सचिव अभिप्रेत है ;

(त) “लापता व्यक्तियों का इंडेक्स” से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल के किसी डाटा बैंक में प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है -

(i) अज्ञात मानव अवशेष ;

(ii) ऐसे व्यक्तियों की, जो लापता हैं, निजी चीजबस्त से ; और

(iii) लापता व्यक्तियों के नातेदारों द्वारा प्रदत्त शारीरिक पदार्थों से,

(थ) “अपराधी इंडेक्स” से अपराधियों से लिए गए ज्ञात नमूनों से डीएनए प्रोफाइलों के किसी डाटा बैंक में प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है ;

(द) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) “प्राविण्य परीक्षण” से कार्य को मानीटर करने और ऐसे क्षेत्रों की, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, पहचान करने के लिए प्रयुक्त क्वालिटी आश्वासन उपाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है--

(i) आंतरिक प्राविण्य परीक्षण, जो प्रयोगशाला द्वारा प्रकल्पित और प्रशासित होता है ; और

(ii) बाह्य प्राविण्य परीक्षण, जो प्रकट या अविवेचित हो सकेगा और जो किसी बाह्य अभिकरण से प्राप्त किया जाता है ;

(न) “क्वालिटी आश्वासन” से व्यवस्थित कार्रवाइयां अभिप्रेत है और इसमें ऐसी व्यवस्थित कार्रवाई सम्मिलित है जो यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि उत्पाद या सेवा क्वालिटी की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरी करती है;

(प) “क्वालिटी निर्देशक” मानकों, क्वालिटी नियंत्रण और क्वालिटी अश्वासन से सम्बन्धित किसी संगठन की क्वालिटी प्रक्रियाएं, क्वालिटी प्रणालियां और पद्धतियां विनिर्दिष्ट करने वाला कोई दस्तावेज है ;

(फ) “क्वालिटी प्रणाली” क्वालिटी प्रबंध के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना, उत्तरदायित्व, कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और साधन हैं;

(ब) “विनियमों” से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(भ) “विनिर्दि-ट अपराध” से मृत्यु या सात वर्ष की अवधि से अधिक कारावास से दंडनीय कोई अपराध अभिप्रेत है ;

(म) “संदिग्ध इंडेक्स या विचाराधीन कैदी” से डीएनए डाटा बैंक में संदिग्ध या यथास्थिति विचाराधीन से लिए गए शारीरिक पदार्थ से व्युत्पन्न डीएनए प्रोफाइल की प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है ;

(य) “अज्ञात मृत व्यक्तियों का इंडेक्स” से ऐसे किसी मृत व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों से, जिसकी पहचान ज्ञात नहीं है, प्राप्त डी एन ए प्रोफाइलों के किसी डाटा बैंक में प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है;

(यक) “विधिमान्यकरण प्रक्रिया” से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा मामले का विश्लेषण करने की कार्यप्रणाली का, उसकी दक्षता और विश्वसनीयता का अवधारण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है-

(i) मामले के नमूनों पर उपयोग के लिए किसी नवीन डी एन ए कार्यपद्धति का विकासात्मक विधिमान्यकरण, जो परीक्षण सम्बंधी आकड़ों, का अर्जन और शर्तों और परिसीमाओं का अवधारण है ; और

(ii) यह प्रदर्शित करने के लिए कि प्रयोगशाला में यथा विनिर्दिष्ट स्थापित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, आन्तरिक विधिमान्यकरण, जो प्रयोगशाला के भीतर परीक्षण संबंधी आकड़ों का संचयन है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम या उन संहिताओं में क्रमशः हैं ।

1860 का 45
1872 का 1
1974 का 2

अध्याय 2

डी एन ए प्रोफाइलिंग बोर्ड

डीएनए

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से

जो इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए, एक बोर्ड की स्थापना करेगी जिसे डीएन ए प्रोफाइलिंग बोर्ड कहा जाएगा ।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और समान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर सम्पत्ति दोनों का अर्जन करने, उसे धारण करने और उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।

(4) बोर्ड, ऐसा अन्य स्थानों पर, जो वह आवश्यक समझे, प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

4. (1) बोर्ड, ग्यारह सदस्यों से बनेगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य-सचिव होंगे ।

बोर्ड की संरचना ।

(2) अध्यक्ष या तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सचिव होंगे, जिनके पास जैव विज्ञान में ज्ञान एवं अनुभव होगा, जैव विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम पचीस वर्षों का अनुभव रखने वाले किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) बोर्ड, निम्नलिखित पदेन-सदस्यों से मिलकर बनेंगे :-

(क) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग या उसका नामनिर्देशिती, सदस्य ;

(ख) महानिदेशक, रा-ट्रीय जांच एजेंसी या निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो या उनके द्वारा नामित संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, को पूर्णतः चक्रानुक्रम में नामनिर्देशिति किया जाना ।

(ग) पूर्णतः चक्रानुक्रम में भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी राज्य का पुलिस महानिदेशक ।

(घ) निदेशक, डीएनए, अंगुली छाप और निदान केन्द्र, हैदराबाद !

(ङ) निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित, प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली ।

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक ।

(छ) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय या उसका

नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(ज) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित, जैव विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जिनके पास उस क्षेत्र में कम से कम पचीस वर्ष का अनुभव हो - सदस्य ।

(5) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित, भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य से अनिम्न पंक्ति का कोई व्यक्ति - बोर्ड का सदस्य सचिव !

अध्यक्ष और अन्य
सदस्यों की
पदावधि सेवा
शर्तें ।

5. (1) अध्यक्ष,—

(क) यदि वह भारत सरकार के सचिव का पद धारण करता है, बोर्ड में पदधारण करेगा जब तक वह अधिवर्तिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या विभाग में सचिव के पद पर बना रहता है जो, पूर्वतर हो ;

(ख) यदि वह जैव विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है, वह पांच वर्ष की अवधि तक बोर्ड का पदधारण करेगा या वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता, जो पूर्वतर हो ;

(2) धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (छ) और (ज) के अधीन नामित पदेन सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी और उसके खंड (घ) और (ङ) के अधीन नामित सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे अपने संबद्ध पद धारण करते हैं ।

(3) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त विशेष सदस्य की पदावधि उस तारीख जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है से तीन वर्ष होगी या वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करता है जो पूर्वतर हो ।

(4) अध्यक्ष और धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त भारत के सचिव से भिन्न व्यक्ति ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे जो विहित किया जाए ।

(5) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त सदस्य की पुनर्नियुक्ति एक बार से अधिक नहीं की जा सकेगी।

बोर्ड की बैठकें ।

6. (1) बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कार्य करने के संबंध में, जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) अध्यक्ष बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य जिसकी संगणना

बोर्ड में नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

परंतु सदस्यों की नियुक्ति की समान तारीख होने की दशा में आयु में ज्येष्ठ सदस्य को अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ समझा जाएगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा ।

(4) बोर्ड, अध्यक्ष के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में कार्य करेगा ।

(5) बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

7. ऐसा कोई सदस्य, जिसका बोर्ड की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, चाहे वह धनीय हो या उससे अन्यथा, वह सुंसगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन बोर्ड की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा सदस्य उस विषय की बाबत बोर्ड के किसी विचार विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

कतिपय मामलों में सदस्य का बैठक में भाग न लेना ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी,--

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ग) जो शीरीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हैं ;

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ.) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना त्यागपत्र और रिक्तियों का भरा जाना ।

परंतु अध्यक्ष या अन्य सदस्य को खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त की गई जांच, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य को मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है, के पश्चात् किए गए आदेश द्वारा ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(2) यदि अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से बोर्ड के अध्यक्ष या धारा 4 की उपधारा (2) और (4) के अधीन किसी अन्य सदस्य के कार्यालय में

कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य धारा 4 की उपधारा (2) और (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कम से कम तीस दिन की सूचना देकर बोर्ड से अपने पद का त्याग कर सकेगा और इस प्रकार उत्पन्न हुआ रिक्त स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यक्तियों के उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा :

परंतु बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के समाप्त होने तक या किसी व्यक्ति की उस पद पर उसके उत्तरवर्ती के रूप में नियुक्ति होने तक या उसके पद की अवधि की समाप्ति तक इनमें जो भी पहले हो पद को तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसे अपना पद केन्द्रीय सरकार द्वारा इससे पहले त्यागने के लिए अनुज्ञात न कर दिया गया हो ।

रिक्तियों से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

9. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी--

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

10. बोर्ड लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 58 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो आवश्यक समझी जाएं, ऐसी शर्तों यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन रहते हुए बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य या सदस्य-सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

11. (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन इसके दक्षतापूर्ण कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) धारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्यक् वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

12. बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कृत्यों का

बोर्ड के कृत्य ।

पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) डीएनए प्रयोगशालाओं से संबंधित सभी विवादों पर, जिनके अंतर्गत योजना, निर्माण, संगठनात्मक संरचना, आकार, संख्या, रणनीतिक अवस्थिति और प्रचालन मानक भी हैं; नई डीएनए प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा प्रबंध और विद्यमान डीएनए प्रयोगशालाओं के उन्नयन पर ; तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए अपेक्षित निधियों पर सिफारिश करने पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबद्ध मंत्रालयों तथा विभागों को सलाह देना ;

(ख) डीएनए प्रयोगशालाओं तथा डीएनए डाटा बैंकों की स्थापना करने में केन्द्रीय सरकार को सुविधा प्रदान करना और उनकी सहायता करना ;

(ग) मानव शक्ति, अवसंरचना सहित डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंक की स्थापना और कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक और प्रक्रिया तथा उनके कार्यपालन और क्रिया कलाप से संबंधित मानीटरिंग के अन्य संबद्ध मुद्दों का अधिकथन करना ;

(घ) डीएनए प्रयोगशालाओं को अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करना, उनका नवीकरण और रद्दकरण ;

(ङ) डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंकों का पर्यवेक्षण करना और उनको मानीटर करना, उनका निरीक्षण और निर्धारण जिसके अंतर्गत क्वालिटी नियंत्रण भी है;

(च) डीएनए संबंधी विनयों पर कार्य करने वाले पुलिस और अन्वे-नण अधिकरण सहित मानव शक्ति के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास और मार्गदर्शक सिद्धांतों की विरचना ;

(छ) डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंकों के लिए डीएनए प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना, उन्हें मानीटर करना, उनका विनियमन करना, उनका प्रमाणन तथा संपरीक्षा करना ;

(ज) डीएनए परीक्षण और बौद्धिक संपदा सहित संबद्ध विषयों में वैज्ञानिक प्रगति की पहचान करना तथा अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों की सिफारिश करना ;

(झ) सिविल और दांडिक कार्यवाहियों में डीएनए प्रोफाइल से संबंधित सूचना भेजने तथा विधि प्रवर्तन तथा अन्य अभिकरणों द्वारा अपराधों के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना ;

(ञ) न्याय प्रशासन के लिए डीएनए तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के

अधिकतम उपयोग के लिए या ऐसे अन्य सुसंगत प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पद्धतियों की सिफारिश करना ;

(ट) डीएनए नमूने के सग्रहण और विशेषण संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार करना जिससे डीएनए तकनीकों के उपयोग में क्वालिटी और संगतता सुनिश्चित की जा सके ;

(ठ) इस अधिनियम द्वारा शासित उन सभी विषयों पर सलाह देना जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ड) भंडारित डीएनए नमूनों तक पहुंच या उसके उपयोग से संबंधित उपबंध निजता संरक्षण संबंधी विधियों के, विनियमों तथा पद्धतियों के उपबंध के लिए सिफारिशें करना और निम्नलिखित सुनिश्चित करना—

(i) ऐसे संरक्षण की पर्याप्तता तथा क्रियान्वयन ;

(ii) डीएनए सूचना का समुचित उपयोग और उसका प्रसार

(iii) डीएनए सूचना की शुद्धता सुरक्षा और गोपनीयता ;

(iv) अप्रचलित, निकाली गई या अशुद्ध डीएनए सूचना का समय से हटाया जाना तथा उसको नष्ट करना ; और

(v) ऐसे अन्य उपाय जो निजता की संरक्षा के लिए आवश्यक हों ;

(ढ) विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा प्रसार के लिए मंच का उपबंध करना ;

(ण) जनता तथा अन्य पणधारियों जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी अभियोजक तथा न्यायिक अधिकारी भी हैं, को संवेदनशील बनाना तथा उनमें जागरूकता उत्पन्न करना ;

(त) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशेषीकृत अभिकरणों द्वारा प्रगणित अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार डीएनए परीक्षण संबंधी सभी नीति परक और मानव अधिकार विवाद्यकों पर विचार-विमर्श करना और सलाह देना—

(i) नागरिकों के अधिकार और उनकी निजता ;

(ii) नागरिक स्वतंत्रताओं संबंधी विवाद्यक ;

(iii) डीएनए परीक्षण प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में नीति परक और अन्य सामाजिक विवक्षाओं वाले विवाद्यक ; और

(iv) डीएनए परीक्षण में वृत्तिक सदाचार ;

(थ) देश के भीतर विभिन्न आन्वेषण अभिकरणों तथा अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के बीच आपराधिक अन्वेषण में सहयोग के लिए प्रक्रिया स्थापित करना ;

(द) डीएनए परीक्षण के संबंध में कार्रवाई करने में अंतर-राज्यीय सहयोग के लिए प्रक्रिया की पहचान और विस्तार करना ;

(ध) अनुसूची में अंतर्विष्ट सूचियों में किए जाने के लिए अपेक्षित किन्हीं उपांतरणों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(न) ज्ञात नमूने सहित शारीरिक पदार्थों के भंडारण तथा उनके नष्ट किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना ;

(प) किसी ऐसे अन्य क्रियाकलाप करना जो बोर्ड की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को अग्रसर करता हो ; और

(फ) ऐसे अन्य कृत्य का पालन करना जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

अध्याय 3

डीएनए प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन

13. (1) कोई प्रयोगशाला डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित किसी अन्य प्रक्रिया को करने के लिए बोर्ड को उसके प्रत्यायन अभिप्राप्त करने या उसके नवीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में, जिसमें ऐसी विशिष्टियां तथा फीस अंतर्विष्ट हों तथा ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन करेगा ।

प्रत्यायन अभिप्राप्त करने और उसके नवीकरण का आवेदन ।

(2) प्रत्यायन के एक या अधिक क्षेत्र के लिए प्रत्यायन की मांग करने वाला प्रयोगशाला या प्रत्यायन के क्षेत्र को जोड़ने की ईप्सा करने वाला प्रयोगशाला ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसी फीस और सहयोगी दस्तावेजों के साथ जो विहित किया जाए लिखित में प्रत्यायन के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा ।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को कार्य कर रही प्रत्येक प्रयोगशाला ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए बोर्ड को उपधारा (2) में यथा उपबंधित आवेदन करेगा जिसका विनिश्चय आवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा किया जाएगा ;

परंतु ऐसी प्रयोगशाला आवेदन करने के पश्चात् डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया तीन मास की अवधि तक करती रहेगी ।

(4) प्रत्यायन चाहने वाली प्रयोगशाला स्थल पर निर्धारण अपेक्षा, विनिर्दिष्ट मानक और ऐसी अन्य अपेक्षाएं जो विहित की जाएं का पालन करेगी ।

(5) प्रत्यायन नवीकरण का आवेदन बोर्ड को फीस के साथ विनिर्दिष्ट रीति से

प्रत्यायन के वर्तमान प्रमाण-पत्र की तारीख की समाप्ति के कम से कम साठ दिन पूर्व किया जाएगा ।

(6) इस धारा के अनुसार नवीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने की किसी असफलता का परिणाम प्रत्यायन की चूक होगी यदि बोर्ड प्रत्यायन के वर्तमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पूर्व पुनर्नवीकरण आवेदन को अनुमोदित नहीं कर दिया है ।

14. (1) प्रत्यायन के लिए या उसके नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हो जाने पर बोर्ड आदेश द्वारा उस प्रयोगशाला, उसके अभिलेखों तथा पुस्तकों का निरीक्षण करने के पश्चात् और उसका यह समाधान हो जाने पर कि यह इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, यथास्थिति दो वर्ष के लिए अनुमोदन मंजूर कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा :

प्रत्यायन या उसके नवीकरण का मंजूर किया जाना ।

परंतु कोई भी आवेदन आवेदक को सुनवाई को अवसर दिए बिना और उसके कारण बताए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा ।

15. (1) बोर्ड डीएनए प्रयोगशाला को प्रत्यायन, निलंबित या प्रतिसंहत मंजूर किए गए प्रत्यायन को वापस ले सकेगा यदि निम्नलिखित के संबंध में, ऐसी डीएनए प्रयोगशाला बंद हो जाती है या यथास्थिति असफल रहती है ---

प्रत्यायन, निलंबित या प्रतिसंहत करने की बोर्ड की शक्ति ।

(क) डीएनए परीक्षण करने या उससे संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया करने ;

(ख) ऐसी किसी शर्त का अनुपालन करने, जिसके अधीन रहते हुए उसे प्रत्यायन मंजूर किया गया है ;

(ग) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का पालन करने ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करने ; या

(ङ.) अपनी प्रयोगशाला या उन लेखा पुस्तकों और किसी सुसंगत दस्तावेज जिसके अंतर्गत संपरीक्षा रिपोर्टें भी हैं, को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों, व्यक्तियों या अभिकरणों द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने या देने !

(2) जहां बोर्ड की यह राय है कि डीएनए प्रयोगशाला को प्रदान किए गए प्रत्यायन को वापस लेने में हुआ कोई विलंब जनहित पर प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव डालने वाला है तो वह ऐसे प्रत्याहरण पर अंतिम विनिश्चय होने तक तुरंत प्रत्यायन को निलंबित कर सकेगा ।

(3) डीएनए प्रयोगशाला को मंजूर किए गए प्रत्यायन को वापस लिए जाने तक कोई आदेश बोर्ड द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी प्रयोगशाला को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

प्रत्यायन की
नामंजूरी या
उसके वापस
लिए जाने के
विरुद्ध अपील ।

(4) धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन प्रत्यायन के वापस लिए जाने पर डीएनए प्रयोगशाला सभी शारीरिक पदार्थों, डीएनए नमूनों और डीएनए परीक्षण से संबंधित सभी अभिलेखों को अपनी प्रयोगशाला से ऐसी अन्य डीएनए प्रयोगशाला को अंतरित कर देगी, जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए और उस प्रयोगशाला में ऐसे किसी पदार्थ या नमूनों या अभिलेख को प्रतिधारित नहीं किया जाएगा ।

16. (1) धारा 14 के अधीन प्रत्यायन और नवीकरण के लिए आवेदन के अस्वीकार किए जाने के आदेश से या धारा 15 के अधीन प्रत्यायन के वापस लिए जाने के आदेश से व्यवधित कोई डीएनए प्रयोगशाला केन्द्रीय सरकार को या ऐसे किसी प्राधिकारी को जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट करे, अपील कर सकेगी ।

अध्याय 4

डीएनए प्रयोगशाला के मानक क्वालिटी नियंत्रण और क्वालिटी आश्वासन बाध्यता तथा अवसंरचना और प्रशिक्षण

17. प्रत्येक ऐसी डीएनए प्रयोगशाला जिसे इस अधिनियम के अधीन डीएनए परीक्षण करने या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए अनुमोदन मंजूर किया गया है, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,--

डीएनए
प्रयोगशाला की
बाध्यताएं ।

(क) डीएनए नमूने के संग्रहण, भंडारण परीक्षण और विश्लेषण के लिए क्वालिटी आश्वासन के संबंध में ऐसे मानक और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी ;

(ख) ऐसी प्रलेखीकृत क्वालिटी प्रणाली की स्थापना करेगी और उसे बनाए रखेगी ;

(ग) ऐसे ब्योरों को अंतर्विष्ट करने वाले क्वालिटी निर्देशिकाओं को तैयार करेगी और उनका रखरखाव करेगी ।

(घ) राज्य डीएनए डाटा बैंक तथा राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ उसके द्वारा तैयार किए गए और अनुरक्षित ऐसे डीएनए डाटा को साझा करेगी ।

18. (1) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला,--

डीएनए
प्रयोगशाला के
प्रधान, तकनीकी
और प्रबंधकीय
कर्मचारीवृंद तथा
अन्य कर्मचारियों
की अर्हताएं और
अनुभव ।

(क) प्रधान ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं तथा अनुभव रखता हो जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(ख) ऐसी शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य अर्हताएं और अनुभव जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, रखने वाले ऐसे तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद

को नियोजित करेगी ।

(ग) अन्य कर्मचारिवृंद और कर्मचारी ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखेंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

19. (1) प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला का प्रधान डीएनए परीक्षण के क्षेत्रों तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों के कौशल उन्नयन तथा ज्ञान में अभिवृद्धि को सुकर बनाने के लिए ऐसे उपाय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, करेगा ;

डीएनए
प्रयोगशाला के
प्रधान के
उत्तरदायित्व ।

(2) प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला का प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी ऐसी संस्थाओं में ऐसे स्तर पर और ऐसे अंतरालों पर डीएनए संबद्ध विषयों पर, ऐसे नियमित प्रशिक्षण लेंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(3) प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला का प्रधान प्रयोगशाला और कार्मिकों से संबंधित ऐसे अभिलेख रखेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

20. प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला--

डीएनए
प्रयोगशाला द्वारा
किए जाने वाले
उपाय ।

(क) ऐसी अवसंरचना रखेगी ;

(ख) डीएनए नमूनों के संदूषण को न्यूनीकृत करने के लिए ऐसी सुरक्षा बनाए रखेगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ;

(ग) शारीरिक साक्ष्य की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रलेखीकृत साक्ष्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगी और उसका अनुसरण करेगी ;

(घ) ऐसी विधिमान्यकरण प्रक्रिया तथा लिखित विश्लेषात्मक प्रक्रिया स्थापित करेगी और उसका अनुसरण करेगी ;

(ङ.) ऐसे अनुक्रमणिकाएं तैयार करेगी ;

(च) ऐसी पद्धतियों के लिए जिन्हें वह नियोजित करे, ऐसे उपस्कर प्रयोग करेगी ;

(छ) उपकरणों तथा उपस्करों के अंशांकन के लिए ऐसे प्रलेखीकृत कार्यक्रम बनाएगी ;

(ज) ऐसे मानकों सहित वार्षिक क्वालिटी संपरीक्षाएं संचालित करेगी ;

(झ) डीएनए प्रयोगशाला और अपने कार्मिकों की सुरक्षा के लिए ऐसी सुरक्षा प्रणाली संस्थापित करेगी ;

(ञ) डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित किसी अन्य प्रक्रिया को करने के लिए ऐसी फीस, जो पच्चीस हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी, प्रभारित करेगी ।

(2) डीएनए प्रयोगशाला डीएनए प्रोफाइल व्युत्पन्न करने और इसे डीएनए डाटा बैंक में निक्षेपित करने के पश्चात् जैविक नमूने या शेन सामग्री को मामले के निपटान तक या न्यायालय के आदेश तक आपराधिक मामले में अन्वे-क अधिकारी को संरक्षित रखने के लिए वापस करेगा और सभी अन्य मामलों में इसे संबद्ध व्यक्ति को सूचित करने के साथ न-ट किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) "विश्लेषात्मक प्रक्रिया" से संक्रियात्मक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित सुव्यवस्थित कदम दर कदम प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ख) "क्वालिटी संपरीक्षा" से क्वालिटी से संबंधित क्रियाकलाप का मूल्यांकन करने, उसकी पुष्टि करने या उसका सत्यापन करने के लिए प्रयोग किया गया निरीक्षण अभिप्रेत है ;

(ग) "अंशांकन" से संक्रियाओं का एक ऐसा सेट अभिप्रेत है जो मापन उपकरण या मापन प्रणाली द्वारा उपदर्शित मूल्यों या सामग्री द्वारा व्यपदिष्ट मूल्यों तथा माप के तत्स्थानी ज्ञात मूल्यों के बीच विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन संबंध स्थापित करता है ।

21. (1) ऐसे किसी व्यक्ति से जो अपराध (विनिर्दि-ट अपराध से भिन्न) के अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार से से तब तक कोई शारीरिक पदार्थ नहीं लिया जाएगा, जब तक शारीरिक पदार्थ लेने की सहमति न दी गई हो ।

शारीरिक पदार्थ लेने के लिए सहमति ।

(2) यदि व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ लेने के लिए उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सहमति से उचित कारण के बिना इनकार किया गया है या सभी युक्तियुक्त प्रयासों के बावजूद अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता तो अपेक्षित शारीरिक पदार्थ मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर दिया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि शारीरिक पदार्थ यह पु-टि करेगा या नासाबित करेगा कि क्या वह व्यक्ति अपराध करने में अंतर्वलित है ।

22. (1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति जो--

(क) घटनास्थल पर मौजूद था जब यह हुई ; या

(ख) अपराध के अन्वे-ण के संबंध में पूछताछ की जा रही है ; या

(ग) आपदा में या अन्यथा अपने गायब या खो गए रिश्तेदार के पता ठिकाने के बारे में पता लगाना चाहता है,

डीएनए परीक्षण के लिए उससे शारीरिक पदार्थ लिए जाने के लिए लिखित में स्वैच्छिक सहमति दे सकेगा ।

शारीरिक पदार्थ का स्वैच्छया से दिया जाना ।

(2) यदि ऐसे स्वैच्छिक के माता-पिता या संरक्षक की सहमति जिसकी आयु

डीएनए
प्रोफाइल के
लिए नमूनों के
संग्रहण के स्रोत
और रीति ।

18 वर्ष से कम है उचित कारण के बिना इनकार किया जाता है या सभी युक्तियुक्त प्रयासों के बावजूद अभिप्राप्त नहीं किया जाता तो ऐसा पदार्थ मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ऐसे व्यक्ति से लिया जा सकेगा ।

23. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डीएनए परीक्षण के लिए नमूने निम्नलिखित स्रोतों से संग्रहीत किए जा सकेंगे, अर्थात् :--

- (क) शारीरिक पदार्थ ;
- (ख) घटना का दृश्य या अपराध का दृश्य ;
- (ग) वस्त्र धारण और अन्य वस्तुएं ; या
- (घ) ऐसे अन्य स्रोत जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) जीवित व्यक्तियों से अंतरंग शरीर के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और अंतरंग न्यायालयिक प्रक्रिया किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी ।

(ख) कोई गैर अंतरंग शरीर के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और किसी चिकित्सा अधिकारी या आणविक जीव विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिक या ऐसे अन्य व्यक्ति जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं के पर्यवेक्षण के अधीन डीएनए परीक्षण के लिए नमूनों के संग्रहण हेतु प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारीवृंद द्वारा गैर अंतरंग न्यायालयिक प्रक्रिया की जाएगी ।

परंतु किसी पीड़ित की या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका पीड़ित होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है जो जीवित है, के डीएनए परीक्षण के लिए शारीरिक पदार्थों के संग्रहण से पहले या किसी लापता व्यक्ति या अवयस्क या असमर्थ व्यक्ति के नातेदार की ऐसे पीड़ित या ऐसे अवयस्क या असमर्थ व्यक्ति के नातेदार या माता-पिता या संरक्षक की सहमति ली जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "अंतरंग शरीर के नमूने" से रक्त वीर्य या कोई अन्य उत्तक, तरल मूत्र या लोका केश या मुख से भिन्न व्यक्ति के शरीर के छिद्र से ली गई फुरेरी या किसी जीवित या मृत व्यक्ति के आंतरिक अंग या शरीर के भाग से ली गई त्वचा या उत्तक अभिप्रेत है।

(ख) "अंतरंग न्यायालय प्रक्रिया" से जीवित व्यक्ति पर की गई निम्नलिखित न्यायालयिक प्रक्रियाओं में से कोई न्यायालयिक प्रक्रिया अभिप्रेत है, अर्थात् :--

- (i) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा

स्तनों की बाह्य परीक्षा ;

(ii) रक्त का नमूना लेना ;

(iii) जघन केश का नमूना लेना ;

(iv) महिलाओं के मामले में बाह्य जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से स्वैब द्वारा या धोकर नमूने लेना ;

(v) महिलाओं के मामले में बाह्य जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से निर्वात स्तनपान द्वारा या खुरचन द्वारा या टेप उठाकर सैंपल लेना ;

(vi) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों की आवृत्ति या उनसे घाव के आकार के फोटो या वीडियो रिकार्डिंग लेना ;

(घ) "गैर अंतरंग शरीर के नमूने " से किसी जीवित या मृत व्यक्ति के या उसके शरीर से लिए गए निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात् :--

(i) हैंड प्रिंट, फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट या टो प्रिंट लेना;

(ii) जघन केश से भिन्न केश का नमूना;

(iii) नाखून या नाखून के नीचे से लिया गया नामूना

(iv) व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से जिसमें मुख भी है किंतु शरीर का कोई अन्य छिद्र नहीं है, से लिया गया स्वैब ;

(v) लार ; या

(vi) त्वचा छाप ;

(ड.) "गैर अंतरंग न्यायालय प्रक्रिया" से किसी जीवित व्यक्ति पर की गई निम्नलिखित न्यायालय प्रक्रियाओं में से कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है, अर्थात् :--

(i) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भिन्न शरीर के किसी भाग की परीक्षा जिसमें शरीर का स्पर्श किया जाना या वस्त्र हटाने की अपेक्षा की जाती है;

(ii) जघन केश से भिन्न केश का नमूना लेना ;

(iii) नाखून या नाखून के नीचे से नमूना लेना ;

(iv) सहमति से मुख स्वैब लेना ;

(v) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भिन्न शरीर के किसी बाह्य भाग से स्वैब या धुलाई से नमूना लेना ;

(vi) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भी भिन्न शरीर के किसी बाह्य भाग से टेप से खुरचकर या उसके द्वारा उठाकर स्वैब या धुलाई से नमूना लेना ;

(vii) हैंड प्रिंट, फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट या टो प्रिंट लेना ;

(viii) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भिन्न शरीर के किसी भाग की छाप या उससे किसी घाव के आकार की फोटो या वीडियो रिकार्डिंग लेना ;

24. यदि विचारण न्यायालय को अभियुक्त व्यक्ति के अभिवाक् से समाधान हो जाता है कि उसके शरीर से लिए गए शारीरिक पदार्थ या अपराध स्थल से संगृहित शारीरिक पदार्थ संदूभित हो गया है तो न्यायालय पुनर्परीक्षा के लिए नया शारीरिक पदार्थ लेने का निदेश दे सकेगा ।

पुनर्परीक्षा के लिए शारीरिक पदार्थ का लिया जाना ।

अध्याय 5

डीएनए डाटा बैंक

डीएनए डाटा बैंक की स्थापना ।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय डीएनए बैंक और राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए ऐसी संख्या में क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंको को स्थापित करेगी, जो वह आवश्यक समझे में स्थापित करेगी ।

(2) क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक अपने द्वारा भंडारित और अनुरक्षित किए गए सभी डीएनए डाटा को राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ सांझा करेगा ।

(3) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों से डीएनए डाटा प्राप्त करेगा और अनुमोदित डीएनए प्रयोगशालाओं से ऐसे रूप विधान में प्राप्त डीएनए प्रोफाइलों का भंडारण करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

डीएनए डाटा बैंक की सूचियों का अनुरक्षण ।

26. (1) प्रत्येक डीएनए डाटा बैंक डाटा के विभिन्न प्रवर्गों के निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं का रखरखाव करेगा, अर्थात् :-

- (क) अपराध दृश्य स्थल की अनुक्रमणिका ;
- (ख) संदिग्ध व्यक्तियों की अनुक्रमणिका ;
- (ग) अपराधियों की अनुक्रमणिका ;
- (घ) लापता व्यक्तियों की अनुक्रमणिका ;
- (ङ) अज्ञात मृतक व्यक्तियों की अनुक्रमणिका ।

(2) प्रत्येक डीएनए डाटा बैंक, प्रत्येक डीएनए प्रोफाइल के संबंध में

उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाओं को अंतर्विष्ट करेगा, अर्थात् :-

(क) संदिग्ध व्यक्तियों की अनुक्रमणिका या अपराधियों की अनुक्रमणिका के प्रोफाइल के मामले में उस व्यक्ति की पहचान जिसके शारीरिक पदार्थों से प्रोफाइल प्राप्त किया गया है ; और

(ख) संदिग्ध व्यक्तियों की अनुक्रमणिका या अपराधियों की अनुक्रमणिका से भिन्न प्रोफाइल के मामले में, उस अन्वेषण का मामला संदर्भ संख्यांक जो उन शारीरिक पदार्थों से सहयुक्त है जिससे प्रोफाइल प्राप्त किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित अनुक्रमणिकाओं के अंतर्गत डीएनए परीक्षण पर आधारित डाटा की सूचना और उससे संबंधित अभिलेख भी हैं जो ऐसे मानकों के अनुसरण में अनुमोदित डीएनए प्रयोगशाला द्वारा तैयार की गई है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

27. (1) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निष्पादन, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए एक डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक की नियुक्ति, उसके द्वारा गठित, ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्तियों से, जो विहित किए जाएं, मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर करेगी ।

डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक ।

(2) डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक एक ऐसा व्यक्ति होगा जो विज्ञान में ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं तथा अनुभव रखता हो जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक भारत सरकार के निदेशक या समतुल्य से नीचे की पंक्ति का व्यक्ति नहीं होगा जो बोर्ड के सदस्य सचिव को रिपोर्ट करेगा ।

(4) डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक, सदस्य सचिव के निदेश और नियंत्रण के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

(5) केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय डाटा बैंक प्रबंधक भारत सरकार के उप-सचिव या समतुल्य से नीचे की पंक्ति का व्यक्ति नहीं होगा जो बोर्ड के सदस्य सचिव को रिपोर्ट करेगा

27. (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डाटा बैंक के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

(2) धारा 27 की उपधारा (1) और (5), राष्ट्रीय डाटा बैंक और क्षेत्रीय

डीएनए डाटा के अधीन नियुक्त डाटा प्रबंधक तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) बोर्ड डीएनए डाटा बैंक के अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए, ऐसे पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तों पर विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

डीएनए
प्रोफाइल की
तुलना और
संसूचना ।

28. (1) डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक द्वारा डीएनए डाटा बैंक में रखे गए डीएनए प्रोफाइलों के साथ तुलना और उसके परिणाम की संसूचना के लिए ऐसे मानदंडों और प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु यदि ऐसा डीएनए प्रोफाइल किसी ऐसे जीवित व्यक्ति के, जो न तो कोई अपराधी है और न संदेहास्पद है, शारीरिक पदार्थ से प्राप्त किया गया है वहां उसकी तुलना डीएनए डाटा बैंक में रखे गए अपराधियों की अनुक्रमणिका में के या संदेहास्पदों के डीएनए प्रोफाइलों के साथ नहीं की जाएगी ।

(2) डाटा बैंक के संदिग्धों की अनुक्रमणिका या अपराधियों की अनुक्रमणिका में अंतर्विष्ट व्यक्तियों के डीएनए प्रोफाइल से संबंधित कोई सूचना केवल ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को संसूचित की जाएगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

डीएनए
प्रोफाइल का
विदेशी सरकार
या संगठन या
संस्था या
अभिकरणों से
साझा करना ।

29. (1) किसी विदेशी राज्य या विदेशी राज्य द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय संगठन या ऐसी सरकार की किसी संस्था या अंतरराष्ट्रीय संगठन से कोई डीएनए प्रोफाइल प्राप्त होने पर, डाटा बैंक प्रबंधक ऐसे ही डीएनए प्रोफाइल का अपराध दृश्य अनुक्रमणिका, अपराधियों की अनुक्रमणिका, संदिग्धों की अनुक्रमणिका, लापता व्यक्तियों की अनुक्रमणिका, अज्ञात मृतक व्यक्तियों की अनुक्रमणिका से यह अवधारित करने के लिए मिलान करेगा कि क्या प्रोफाइल में वहां कोई समरूप है और वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, ऐसी सरकार या संगठन या संस्था को निम्नलिखित सूचना संसूचित कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) यदि प्रोफाइल के बीच कोई समरूपता नहीं है, ;

(ख) यदि प्रोफाइल के बीच कोई समरूपता है, तो डीएनए प्रोफाइल की ऐसी समरूपता से संबंधित कोई सूचना ;

(ग) यदि डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक की राय में, डीएनए प्रोफाइल डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट एक डीएनए प्रोफाइल के समरूप है ; वह

समरूप डीएनए प्रोफाइल ; और

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट समरूप डीएनए प्रोफाइल प्राप्त करने के पश्चात् यदि ऐसी विदेशी सरकार या संगठन या संस्था डीएनए डाटा बैंक के प्रबंधक को यह सूचित करता है कि उसके द्वारा दिए गए डीएनए प्रोफाइल के समरूप डीएनए प्रोफाइल होने की संभावना को यह अपवर्जित नहीं करता है तो उस समरूप डीएनए प्रोफाइल से संबंधित कोई भी सूचना उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में भी दी जा सकेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार बोर्ड के परामर्श से, -

(क) यथास्थिति, विदेशी राज्य की सरकार, राज्यों की सरकारों द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय संगठन या ऐसी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन से अपराधियों, गायब व्यक्तियों और लापता शवों की बाबत डीएनए प्रोफाइल के लेन देन की प्रकृति और विस्तार का विनिश्चय और अवधारण करेगा ;

(ख) ऐसे विदेशी राज्य, संगठन या संस्थान से इसी प्रकार की सूचना का अनुरोध करेगी या ईप्सा करेगी ,

इस धारा की उपधारा (1) और (2) के उपबंध सभी ऐसे मामलों के यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

30. (1) दोषसिद्धि से संबंध रखने वाली अपराधियों की अनुक्रमणिका में सूचना को स्थाई आधार पर रखा जाएगा ।

अभिलेखों का
प्रतिधारण और
निकाला जाना ।

(2) डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक, न्यायालय के ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जो अंतिम हो गया है जिसमें वह व्यक्ति जिसके बारे में अपराधियों की अनुक्रमणिका में सूचना सम्मिलित की गई है,-

(क) उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है ; या

(ख) यदि दोषसिद्धि की गई है, तो ऐसी दोषसिद्धि अपास्त कर दी गई है,

ऐसे व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल को अपराधियों की अनुक्रमणिका से, संबंधित व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना देते हुए तत्काल निकाल देगा ।

(3) डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक-

(क) किसी ऐसे न्यायालय के जो मामले की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर जिसमें वह व्यक्ति जिसकी बाबत संदिग्धों की अनुक्रमणिका में सूचना सम्मिलित की गई है, उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है या उसके विरुद्ध विरचित आरोपों को अपास्त कर दिया गया है या ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि किसी ऐसे अपराध के लिए की गई है जो कोई विनिर्दिष्ट

अपराध नहीं है; या

(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी से जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, ऐसी सूचना देते हुए किसी संसूचना की प्राप्ति पर कि ऐसा व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट अपराध के किए जाने में शामिल नहीं था या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अपराध की बाबत विरचित आरोप वापस ले लिए गए हैं या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समयावधि के भीतर आरोप फाइल नहीं किए गए हैं तो,

ऐसे व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल को संदिग्धों की अनुक्रमणिका से, संबंधित व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना देते हुए तत्काल निकाल देगा ।

(4) डीएनए डाटा प्रबंधक, ऐसे व्यक्ति के, जो न तो कोई अपराधी है न संदिग्ध किंतु जिसके डीएनए प्रोफाइल की प्रविष्टि डीएनए डाटा बैंक की अपराध दृश्य अनुक्रमणिका या लापता व्यक्तियों की अनुक्रमणिका में प्रविष्ट है उससे उसके डीएनए प्रोफाइल को हटाने के लिए लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल को डीएनए डाटा बैंक से, संबंधित व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना देते हुए तत्काल निकाल देगा :

परंतु जहां डीएनए प्रोफाइल किसी अवयस्क या किसी निर्योग्य व्यक्ति का है तो ऐसे अवयस्क या निर्योग्य व्यक्ति के माता-पिता या संरक्षक के लिखित अनुरोध पर ही निकाला जाएगा ।

(5) किसी डीएनए डाटा बैंक में या उससे किसी डीएनए प्रोफाइल की प्रविष्टि के प्रतिधारण और निकाले जाने के लिए अन्य सभी मानदंड ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 6

डीएनए प्रोफाइलों, नमूनों और अभिलेखों की गोपनीयता और उन तक पहुंच

डीएनए प्रोफाइलों, डीएनए नमूनों और अभिलेखों की गोपनीयता

31. डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और उसके किन्हीं अभिलेखों को, रा-ट्रीय डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक या क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक या किसी डीएनए प्रयोगशाला या किसी अन्य व्यक्ति या इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा या अभिरक्षा में उसे गोपनीय रखा जाएगा ।

डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और अभिलेखों का व्यक्तियों की पहचान को सुकर बनाने के

32. डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट सभी डीएनए डाटा जिसके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल, शारीरिक पदार्थों के डीएनए नमूने और उसके अभिलेख भी है, का प्रयोग इस अधिनियम के अनुसरण में व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाने के प्रयोजन मात्र के लिए प्रयोग किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।

लिए प्रयोग ।

कतिपय मामलों में डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और अभिलेखों की उपलब्धता ।

33. डीएनए प्रयोगशाला में अंतर्विष्ट डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और उनके अभिलेखों से संबंधित किसी सूचना को निम्नलिखित मामलों में निम्नलिखित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात् :---

(क) विधि प्रवर्तन अभिकरण को दांडिक मामलों में पहचान प्रयोजनों के लिए ;

(ख) साक्ष्य को ग्रहण करने के नियमों के अनुसरण में, किसी न्यायिक कार्यवाही में ;

(ग) दांडिक मामलों में अभियोजन और न्यायनिर्णयन को सुकर बनाने के लिए ;

(घ) किसी अभियुक्त द्वारा ऐसे दांडिक मामले में, जिसमें वह आरोपी है, उसकी प्रतिरक्षा किए जाने के प्रयोजन के लिए ।

(च) अनुसूची में सूचीबद्ध सिविल विवादों या अन्य सिविल मामलों या अपराधों या वाद से संबंधित अन्वेषण के मामलों में, ऐसे विवादों या मामलों या अपराधों या वाद से संबंधित पक्षकारों को न्यायालय की सहमति से या संबंधित न्यायिक अधिकारी या प्राधिकारी की सहमति से ; या

(छ) ऐसे अन्य मामलों में, जो विहित किए जाएं ।

प्रचालन, अनुसूची और प्रशिक्षण के लिए सूचना तक पहुंच ।

34. रा-ट्रीय डीएनए डाटा बैंक या क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट ऐसी सूचना, जो डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक इसके लिए समुचित समझे, तक पहुंच निम्नलिखित को उपलब्ध हो सकेगी—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, डीएनए डाटा बैंक के उचित प्रचालन और अनुसूची के एकल प्रयोजन के लिए ; और

(ख) किसी डीएनए प्रयोगशाला के कार्मिक को प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए ।

35. कोई व्यक्ति जो डीएनए डाटा बैंक की अनुक्रमणिका तक पहुंच के लिए डीएनए पहचान अभिलेख या डीएनए प्रोफाइल को उस अनुक्रमणिका में सूचना को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है, वह दांडिक अन्वेषण के प्रयोजन के लिए विधि पूर्ण रीति से संगृहीत किसी डीएनए नमूने से प्राप्त सूचना को एक बारगी कीबोर्ड खोज के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए उस तक पहुंच रखेगा, सिवाय उस डीएनए नमूने के जो हटाने मात्र के प्रयोजन के लिए स्वेच्छया प्रस्तुत किया गया है ।

एक बारगी कीबोर्ड खोज के लिए डीएनए डाटा बैंक में सूचना तक पहुंच ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “ एक बारगी कीबोर्ड खोज” से ऐसी खोज अभिप्रेत है, जिसमें उस डीएनए नमूने से अभिप्राप्त सूचना की

तुलना डीएनए डाटा बैंक की अनुक्रमणिका में की सूचना से की गई है, उसे अनुक्रमणिका में डीएनए नमूने से अभिप्राप्त सूचना के रूप में बदले बिना सम्मिलित किया जाएगा ।

36. अपराध दृश्य अनुक्रमणिका की सूचना तक पहुंच को ऐसी रीति में निर्बंधित किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यदि ऐसी सूचना शारीरिक पदार्थ से व्युत्पन्न किसी डीएनए प्रोफाइल से निम्न रूप में संबंधित है :-

(क) विनिर्दिष्ट अपराध से पीड़ित व्यक्ति जो सुसंगत अन्वेषण का विषय है या बनता है ; या

(ख) ऐसा व्यक्ति जो सुसंगत अन्वेषण में संदिग्ध के रूप में हटाया गया है ।

37. (1) कोई व्यक्ति जो डीएनए प्रोफाइल को डीएनए डाटा बैंक में प्रविष्ट करने के लिए प्राप्त करता है वह इस अधिनियम के अधीन प्रयोग किए जाने के लिए उपबंधित के सिवाय उसका प्रयोग नहीं करेगा और न ही उसका प्रयोग अनुज्ञात करेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति, डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट किसी डीएनए प्रोफाइल की सूचना या धारा 29 और धारा 30 के अधीन संसूचित की गई सूचना को संसूचित या संसूचित करने के लिए प्राधिकृत या संसूचित करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन सूचना संसूचित की गई है या जो उस सूचना तक पहुंच रखता है उस सूचना का उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिए संसूचना या पहुंच की अनुज्ञा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई है ।

अध्याय 7

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

39. केंद्रीय सरकार, संसद के, विधि द्वारा, इस निमित्त किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् हर एक वित्तीय वर्ष में बोर्ड को धन की ऐसी रकम का अनुदान और ऋण दे सकेगी, जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

40. (1) डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) कोई अनुदान और ऋण जो केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को दिया गया है ;

(ख) बोर्ड के द्वारा प्राप्त सभी रकमों जिसके अंतर्गत फीस, प्रभार या किसी अन्य स्रोत से संदान भी हैं ;

डीएनए डाटा बैंक की सूचना तक पहुंच पर निर्बंधन ।

डीएनए प्रोफाइलों, नमूनों और पहचान अभिलेख के डाटा पहचान प्रयोग पर निर्बंधन ।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण ।

डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड निधि ।

(ग) निधि से प्रदान की गई रकमों की वसूलियां; और

(घ) निधि की रकम के विनिधान से कोई आय ;

(2) इस निधि को बोर्ड द्वारा निम्न को पूरा करने के लिए उपयोजित किया जाएगा--

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्ययों के लिए; और इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्ययों के लिए ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में हुए व्ययों के लिए ।

41. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित होंगे और उसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

बजट ।

(2) बोर्ड केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से वित्तीय विनियम स्वीकार करेगा जिसमें विशेषकर बोर्ड के बजट के रूपरेखा तैयार करने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया जाए ।

42. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण हिसाब दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

43. (1) बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

लेखा और
संपरीक्षा ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो ऐसी संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और, विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा पेपरों की मांग करने का अधिकार होगा और बोर्ड के किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

(3) बोर्ड की लेखाओं की संपरीक्षा वार्षिक रूप से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय बोर्ड के द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(4) बोर्ड, केंद्रीय सरकार को, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ अपने

लेखाओं की संपरीक्षित प्रति ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, देगा ।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

44. केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

डीएनए डाटा बैंक के सूचना के अप्राधिकृत प्रकटन के लिए शास्ति ।

45. जो कोई, अपने नियोजन या पदीय हैसियत या अन्यथा आधार पर, डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट वैयक्तिक पहचान करने वाली डीएनए सूचना को कब्जे में रखता है या उस तक पहुंच रखता है और जानबूझकर किसी व्यक्ति या अभिकरण को उसे किसी भी रीति में प्रकट करता है जो इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, ऐसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

बिना प्राधिकार के डीएनए डाटा बैंक से सूचना अभिप्राप्त करने के लिए शास्तियां ।

46. जो कोई, बिना प्राधिकार के, जानबूझकर डीएनए डाटा बैंक से वैयक्तिक पहचान करने वाली सूचना अभिप्राप्त करती है, वह ऐसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

डीएनए डाटा बैंक की सूचना तक विधिविरुद्ध पहुंच के लिए शास्तियां ।

47. जो कोई, इस अधिनियम में उपबंधित के अनुसरण से अन्यथा डीएनए डाटा बैंक में भंडारित सूचना तक पहुंच करता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

डीएनए नमूने या उसके किसी परिणाम को बिना प्राधिकार के देने या प्रयोग करने के लिए शास्तियां ।

48. जो कोई जानबूझकर, किसी व्यक्ति को किसी भी रीति में किसी डीएनए नमूने या उसके परिणाम को देता है, जो उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है या ऐसे डीएनए विश्लेषण का नमूना या परिणाम बिना प्राधिकार के अभिप्राप्त या प्रयोग करता है, वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

जैविक साक्ष्य को नष्ट करना, परिवर्तित करना, संदूषित करना, बिगाड़ना ।

49. जो कोई जानबूझकर और साशय जैविक साक्ष्य को , जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन परिरक्षित करने की अपेक्षा है, साक्ष्य का डीएनए परीक्षण किए जाने या ऐसे साक्ष्य को किसी न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने से निवारित करने के आशय से नष्ट

करता है, परिवर्तित करता है, संदूषित करता है या बिगाड़ता है, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं हो सकेगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

50. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यक्ति-संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

51. बोर्ड का अध्यक्ष, अन्य सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे । (1860 का 45)

अध्यक्ष, सदस्यों,
अधिकारियों का
लोक सेवक
होना ।

52. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

सद्भावपूर्वक की
गई कार्रवाई के
लिए संरक्षण ।

केंद्रीय सरकार
की बोर्ड को
अधिक्रांत करने
की शक्ति ।

53. (1) यदि किसी समय केंद्रीय सरकार की यह राय है-

(क) बोर्ड के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने या उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं ; या

(ख) बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन को नुकसान उठाना पड़ा है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसमें लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

तो वह अधिसूचना द्वारा बोर्ड को छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व बोर्ड को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और बोर्ड के अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

परंतु यह और कि अधिक्रमण की दशा में केंद्रीय सरकार एक प्रशासक नियुक्त करेगा जो सचिव की पंक्ति से अन्यून का कर्मचारी होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना की एक प्रति और उस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट तथा उन परिस्थितियों को, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष यथाशीघ्र रखवाएगी

54. (1) केंद्रीय सरकार बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार और बोर्ड के बीच इस संबंध में कोई विवाद पैदा होता है कि क्या प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

55. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा—

(क) मद आ में विशेष विधियों के अधीन अपराध; या

(ख) मद इ में सिविल विवाद और अन्य सिविल मामले; या

(ग) मद ई में अन्य अपराध और मामले,

अनुसूची में जोड़ सकेगी या उनका लोप कर सकेगी और ऐसा कोई भी

केंद्रीय सरकार के
निदेश देने की
शक्ति ।

केंद्रीय सरकार
की अनुसूची
संशोधित करने
की शक्ति ।

संशोधन अधिसूचना की तारीख से अनुसूची में जोड़ा हुआ या उससे लोप किया हुआ समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

56. किसी न्यायालय को ऐसे किसी वि-य की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जिस पर बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त किया गया है ।

न्यायालयों की अधिकारिता न होना ।

57. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन चयन समिति के गठन की रीति और संरचना ;

(ग) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन चयन समिति के गठन की रीति और संरचना ;

(घ) अन्य मामले, जिनके लिए धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन उपलब्ध डीएनए प्रोफाइलों से संबंधित सूचना, डीएनए नमूनों और उससे संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिस पर धारा 42 के अधीन बोर्ड अपना बजट तैयार करेगा ;

(च) वह प्ररूप, जिसमें धारा 43 के अधीन बोर्ड अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(छ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड अपना वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं ।

58. (1) बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति ।

बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन वह समय और स्थान, जिस पर बोर्ड बैठक करेगा तथा उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञान में शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं और अनुभव ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदेय वेतन और अन्य भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ.) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों का पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन सहकारी सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(छ) धारा 13 के खंड (i) के अधीन डीएनए तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के अनुकूलतम उपयोग के लिए अन्य सुसंगत प्रयोजन ;

(ज) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन डीएनए परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए आवेदन का प्ररूप, उसमें अंतर्विष्ट विशिष्टियां तथा उसके साथ संलग्न फीस और वह रीति, जिसमें वह, प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला द्वारा बोर्ड को, यथास्थिति, अनुमोदन या नवीकरण के लिए किया जाएगा ;

(झ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन वह अवधि, जिसके लिए अनुमोदन या नवीकरण अनुदत्त किया जा सकेगा ;

(ञ) धारा 19 के खंड (क) के अधीन डीएनए नमूनों के संगृहण के लिए क्वालिटी आश्वासन, भंडारण, परीक्षण और डीएनए के विश्लेषण के लिए किसी प्रयोगशाला द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मानक और प्रक्रियाएं ; खंड (ख) के अधीन वह प्रलेखित क्वालिटी प्रणाली, जिसे किसी डीएनए प्रयोगशाला द्वारा स्थापित किया जाएगा और अनुरक्षित किया जाएगा ; खंड (ग) के अधीन विवरण सहित क्वालिटी निर्देशिका, जिसे प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला स्थापित और अनुरक्षित करेगी ; खंड (घ) के अधीन डीएनए प्रयोगशाला द्वारा तैयार किया गया और अनुरक्षित किया

गया डीएनए डाटा, जिसे राज्य डीएनए डाटा बैंक और राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ बांटा जाएगा और उसकी रीति ;

(ट) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन डीएनए प्रयोगशाला के प्रमुख की शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और अनुभव ;

(ठ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन डीएनए प्रयोगशाला द्वारा नियोजित तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद की अर्हताएं तथा अनुभव ;

(ड) धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन डीएनए प्रयोगशाला के अन्य कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं तथा अनुभव ;

(ढ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन डीएनए प्रयोगशाला के प्रमुख द्वारा किए जाने वाले उपाय ;

(ण) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन डीएनए प्रयोगशाला वह प्रशिक्षण, जो डीएनए प्रयोगशाला के कर्मचारी लेगें, संस्थाएं, जहां ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसे प्रशिक्षण के लिए स्तर और अंतराल ;

(त) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन डीएनए प्रयोगशाला के प्रमुख द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख ;

(थ) धारा 22 के खंड (क) के अधीन किसी डीएनए प्रयोगशाला के लिए रखी जाने वाली अवसंरचना ; खंड (ख) के अधीन रखी जाने वाली सुरक्षा और ऐसी प्रयोगशाला द्वारा डीएनए नमूनों को संदूषण को न्यूनतम करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; खंड (ग) के अधीन दस्तावेजित साक्ष्य नियंत्रण प्रणाली, जिसकी स्थापना की जानी है और ऐसी प्रयोगशाला द्वारा शारीरिक साक्ष्य की सत्यनिष्ठा का सुनिश्चय करने के लिए अनुसरण किया जाना है ; खंड (घ) के अधीन ऐसी प्रयोगशाला द्वारा स्थापित और अनुसरण की जाने वाली विधिमान्यकरण की प्रक्रिया और लिखित विश्लेषणात्मक प्रक्रिया ; खंड (ङ.) के अधीन ऐसी प्रयोगशाला द्वारा तैयार की जाने वाली अनुक्रमणिकाएं ; खंड (च) के अधीन ऐसी प्रयोगशाला द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्यतियों में उपयोग किए जाने वाले उपस्कर ; खंड (छ) के अधीन उपकरणों और उपस्कर के अंशांकन के लिए दस्तावेजी कार्यक्रम जो ऐसी प्रयोगशाला करेगी ; खंड (ज) के अधीन ऐसी प्रयोगशाला द्वारा संचालित की जाने वाली संपरीक्षा और ऐसी संपरीक्षा के लिए मानक ; खंड (झ) के अधीन ऐसी प्रयोगशाला द्वारा अपनी सुरक्षा और अपने कार्मिकों की सुरक्षा के लिए स्थापित की जाने वाली सुरक्षा प्रणाली ; खंड (ञ) के अधीन उस फीस से अनधिक फीस, जिसे डीएनए प्रयोगशाला डीएनए परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रभारित करेगी तथा उसके तद्धीन स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन अंशांकन की शर्तें ;

(द) धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन डीएनए नमूने

का संग्रहण करने के अन्य स्रोत ;

(ध) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्ति, जिसके पर्यवेक्षण के अधीन डीएनए नमूने का संग्रहण किया जा सकेगा ;

(न) धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन वह रूप विधान, जिसमें राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक, राज्य डीएनए डाटा बैंकों से डीएनए डाटा प्राप्त करेगा और डीएनए प्रोफाइलों का भंडारण करेगा ;

(प) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन वे मानक, जिनके अनुसार डीएनए विश्लेषण पर आधारित डाटा की सूचना डीएनए प्रयोगशाला द्वारा तैयार की जाएगी ;

(फ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक की विज्ञान में शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं तथा अनुभव ;

(ब) धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(भ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(म) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों का पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें ;

(य) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन डीएनए डाटा बैंक प्रबंधक द्वारा अनुसरण किए जाने वाला मानदंड और प्रक्रिया;

(यक) वह प्राधिकृत व्यक्ति जिसे धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन संदिग्धों की अनुक्रमणिका या अपराधियों की अनुक्रमणिका में अंतर्विष्ट किसी व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल से संबंधित सूचना संसूचित की जाएगी;

(यख) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अन्य, अनुक्रमणिकाएं जिनके साथ डीएनए प्रोफाइल की तुलना की जा सकेगी;

(यग) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें किसी व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइल अपराधियों की अनुक्रमणिका से निकाला जाएगा;

(यघ) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन वह प्राधिकार जिससे खंड (ख) के अधीन और वह रीति जिसमें किसी व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइल संदिग्धों की अनुक्रमणिका से निकाला जाएगा;

(यड) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति जिसमें किसी व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइल अपराध दृश्य अनुक्रमणिका या लापता

व्यक्तियों की अनिक्रमणिका से निकाला जाएगा;

(यच) धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन किसी डीएनए प्रोफाइल की प्रविष्टि, प्रतिधारण और निकाले जाने के लिए मानदंड;

(यछ) धारा 36 के अधीन वह रीति जिसमें डीएनए डाटा बैंक में सूचना तक पहुंच को निर्बन्धित किया जाएगा ।

59. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, उसके बनाए के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह विनियम निप्रभाव हो जाएगा । किंतु विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियमों और
विनियमों का
संसद् के समक्ष
रखा जाना ।

60. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति ।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 2 (झ), 12 (घ), 34 (ञ) और 55 (1) देखें]

डीएनए परीक्षण के विषयों की सूची

अ. भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध, जहां अपराधों की जांच के लिए डीएनए परीक्षण उपयोगी हैं ।

आ. अन्य विशेष विधियों के अधीन अपराध :

(i) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104)

(ii) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34)

(iii) प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)

(iv) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

(v) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)

(vi) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33)

(vii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

इ. सिविल विवाद और अन्य सिविल मामले :

(i) पितृत्व विवाद (मातृत्व या पितृत्व)

(ii) वंशावली से संबंधित विवाहक

(iii) सहायता प्रदत्त पुनः जनन प्रौद्योगिकियों से संबंधित विवाहक । झूम्रोरोगेसी, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन और इन्ट्रूट्राइन प्रतिरोपण या ऐसी

अन्य प्रौद्योगिकियां

(iv) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) के अधीन मानव अंगों के प्रतिरोपण से संबंधित विवाद्यक (दाता और प्राप्तकर्ता)

(v) अप्रवास या उत्प्रवास से संबंधित विवाद्यक

(vi) ब्यष्टिक पहचान स्थापित करने से संबंधित विवाद्यक

ई. अन्य अपराध या मामले :

(i) चिकित्सीय उपेक्षा

(ii) ऐसे मानव अवशेष, जिनकी पहचान नहीं की जा सकती

(iii) परित्यक्त या विवादित बालकों की पहचान और संबंधित विवाद्यक ।